केवल आन्तरिक परिचालन हेतु
FOR INTERNAL CIRCULATION ONLY

यूको बैंक
UCO BANK

यूको बैंक
(अधिकारी) सेवा विनियम, 1979
(30.6.1997 तक संशोधित)

UCO BANK
(OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979
(Revised upto 30.6.1997)

प्रधान कार्यालय
कार्मिक विभाग
कलकत्ता

HEAD OFFICE
PERSONNEL DEPARTMENT
CALCUTTA

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979

विषय-वस्तु

	विनियम	पृष्ठ सं.
	अध्याय - I	
1.	संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ	1
2.	अधिकारी, जिन पर ये विनियम लागू होंगे	1
3.	परिभाषाएं	1
	अध्याय - II	
4.	श्रेणियां और वेतनमान	3
5.	वेतनवृद्धियां	4
6.	वर्गीकरण	8
	अध्याय - III	
7.	नियत तिथि को पदों का वर्गीकरण	9
8.	वेतनमानों में नियतन	9
9.	समायोजन भत्ता	11
10.	वैयक्तिक भत्ता	11
11.	भावी वेतनवृद्धियों और बढ़ोतरियों में समावेश	12
12.	विद्यमान अधिकारियों के लिए विकल्प	13
13.	नियतन के विरुद्ध अपील	14
	अध्याय - IV	
14.	नियुक्तियां	15
15.	परिवीक्षा	15
16.	स्थायीकरण	15
17.	पदोन्नतियां	16
18.	वरिष्ठता	16
19.	सेवानिवृत्ति की आयु	17
20.	सेवा-समाप्ति	19

UCO BANK (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979

CONTENTS

	Regulation	Page No.
	CHAPTER - I	
1.	Short title and commencement	1
2.	Officers to whom the regulations apply	1
3.	Definitions	1
	CHAPTER - II	
4.	Grades and scales of pay	3
5.	Increments	4
6.	Categorisation	8
	CHAPTER - III	
7.	Categorisation on the appointed date	9
8.	Fitment in the scales of pay	9
9.	Adjustment allowance	11
10.	Personal allowance	11
11.	Absorption against future increments and increases	12
12.	Option for existing Officers	13
13.	Appeal against fitment	14
	CHAPTER - IV	
14.	Appointments	15
15.	Probation	15
16.	Confirmation	15
17.	Promotions	16
18.	Seniority	16
19.	Age of retirement	17
20.	Termination of Service	19

अध्याय - V

21.	महंगाई भत्ता	21
22.	मकान किराया भत्ता	22
23.	अन्य भत्ते	24

अध्याय - VI

24.	चिकित्सा सहायता	28
25.	आवासीय सुविधा	30
26.	व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक की कार	31
27.	वाहन खरीदने के लिए ऋण	31
28.	मकान खरीदने के लिए ऋण	31
29.	मनोरंजन व्यय और क्लब सदस्यता शुल्क	32
30.	जमाराशियों पर अधिमान्य ब्याज-दर	32

अध्याय - VII

31.	छुट्टी के प्रकार	32
32.	आकस्मिक छुट्टी	32
33.	साधिकार छुट्टी	33
34.	बीमारी छुट्टी	33
35.	अतिरिक्त बीमारी छुट्टी	34
36.	प्रसूति छुट्टी	34
37.	असाधारण छुट्टी	34
38.	छुट्टी का कालातीन होना	34
39.	कार्य पर वापस बुलाना	35
40.	बैंक को छुट्टीकालीन पते की सूचना	35

अध्याय - VIII

41.	यात्रा का साधन और यात्रा व्यय	35
42.	स्थानान्तरण, यात्रा भत्ता आदि	38
43.	सेवानिवृत्ति पर यात्रा-भत्ता	40
44.	छुट्टी यात्रा सुविधा	41

CHAPTER - V

21.	Dearness allownace	21
22.	House rent allowance	22
23.	Other allowances	24

CHAPTER - VI

24.	Medical aid	28
25.	Residential accommodation	30
26.	Bank's car for personal purposes	31
27.	Loan for the purchase of conveyance	31
28.	Loan for the purchase of houses	31
29.	Entertainment expenses and club membership fees	32
30.	Preferential interest rates on deposits	32

CHAPTER - VII

31.	Kinds of leave	32
32.	Casual leave	32
33.	Privilege leave	33
34.	Sick leave	33
35.	Additional sick leave	34
36.	Maternity leave	34
37.	Extraordianary leave	34
38.	Lapse of leave	34
39.	Recall for duty	35
40.	Furnishing the leave address to the Bank	35

CHAPTER - VIII

41.	Mode of travel and expenses on travel	35
42.	Transfer, Travelling allowance etc.	38
43.	Travelling allowance on retirement	40
44.	Leave Travel Concession	41

अध्याय - IX

45. भविष्य निधि और पेंशन 42
46. उपदान 43

अध्याय - X

47. स्थानांतरणीयता 44
48. बैंक-कार्य के लिए उपलब्धता 44
49. स्थानांतरण पर कार्यग्रहण अवधि 44

अध्याय - XI

50. विनियमों को लागू करने की शक्ति 45
51. सरकारी निर्णय ही मंडल का प्रारंभिक निर्णय 45
53. "सेवा" का निर्वचन 45
53. पूर्व नियमों आदि का प्रतिसंहरण 45
54. निर्वचन 45

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के सम्बन्ध में सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त–

अनुबंध	विनियम	पृष्ठ
1	4(1)	46
2	5	46
3	6	47
4	8(1)	49
5	14	50
6	17	51
7	19 (1) एवं (2)	54
8	22(2)	55
9	23(ii)	55
10	24	61
11	25	62
12	26	62
13	27	63
14	28	64
15	29	70
16	41	71

CHAPTER - IX

45. Provident Fund and Pension 42
46. Gratuity 43

CHAPTER - X

47. Transferability 44
48. Availibility on Bank's duties 44
49. Joining time on transfer 44

CHAPTER - XI

50. Power to implement regulations 45
51. Government's decision to be construed as initial decision of the board 45
52. Interpretation of "Service" 45
53. Revocation of earlier rules, etc. 45
54. Interpretation 45

GOVERNMENT GUIDELINESTO UCO BANK (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979—

ANNEXURE	REGULATION	PAGE
1	4(1)	46
2	5	46
3	6	47
4	8(1)	49
5	14	50
6	17	51
7	19(1) & (2)	54
8	22(2)	55
9	23(ii)	55
10	24	61
11	25	62
12	26	62
13	27	63
14	28	64
15	29	70
16	41	71

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979

प्रारम्भिक

केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 एवं धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मण्डल निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

अध्याय - I

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम 1 जुलाई, 1979 से प्रवृत्त होंगे।*

अधिकारी जिन पर ये विनियम लागू होंगे

2. (1) बैंक के सभी अधिकारियों पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा एवं शर्तों तक उन कर्मचारियों पर भी, जिन्हें ऐसे प्राधिकारी निर्धारित करें, ये विनियम लागू होंगे।

(2) ये उन अधिकारियों पर भी लागू होंगे जो भारत के बाहर स्थानांतरित/पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, केवल उन स्थितियों को छोड़कर जिनका निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष या सामान्य रूप से किया जाता है।

(3) हालांकि ये उस कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जो भारत के बाहर किसी देश में नियुक्त/कार्यरत है और वहाँ स्थायी रूप से सेवारत है।

परिभाषाएं

3. इन विनियमों से जब तक कि कोई बात विषय अथवा सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो

(क) "नियत तिथि" का आशय 1 जुलाई, 1979 से है;

(ख) "बैंक" का आशय यूको बैंक से है;

(ग) "मण्डल" का आशय बैंक के निदेशक मण्डल से है;

* इसके पश्चात् किए गए संशोधनों के अधीन रहते हुए।

UCO BANK (OFFICERS') SERVICE REGULATIONS, 1979

PRELIMINARY

In exercise of the powers conferred by Section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :–

CHAPTER - I

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

(2) These regulations shall come into force on the 1st day of July, 1979*

Officers to whom the regulations apply

2. (1) These regulations shall apply to all Officers of the Bank and to such other employees of the Bank to whom they may be made applicable by the competent authority to the extent and subject to such conditions as such authority may decide.

(2) They shall also apply to officers transferred/posted/deputed outside India except to such extent as may be specifically or generally prescribed by the Competent Authority.

(3) They shall, however, not apply to employee appointed/engaged in any country outside India and permanently serving there.

Definitions

3. In these regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context-

(a) "appointed date" means the 1st July, 1979;

(b) "Bank" means UCO Bank;

(c) "Board" means the Board of Directors of the Bank;

* Subject to amendments made thereafter.

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का आशय मण्डल द्वारा किसी उददेश्य के लिए नामित प्राधिकारी से है ;

(ड) "परिलब्धियों" का आशय संवेतन और भत्तों के, यदि कोई हो, कुल योग से है;

(च) "परिवार" का आशय अधिकारी की पत्नी/के पति (यदि पति/पत्नी भी बैंक के कर्मचारी नहीं हैं) तथा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित बच्चे, माता-पिता, भाई-बहन से है, किन्तु कानूनी तौर पर अलग किए गए पति-पत्नी इसमें सम्मिलित नहीं है;

(छ) "सरकार" का आशय केन्द्र सरकार से है;

(ज) "सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों" का आशय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों से होगा और उनमें सरकार के संकल्प संख्या एफ 4(26)/72/आइ आर दिनांक 19 जुलाई 1973 द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें भी सम्मिलित होंगी जिन्हें सरकार ने अपने द्वारा समय-समय पर किए गए या किए जाने वाले संशोधनों एवं परिवर्तनों सहित स्वीकार किया हो;

(झ) "प्रबंध निदेशक" का आशय बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक से है;

(ञ) "अधिकारी" का आशय नियत तिथि से ठीक पूर्व कार्यरत बैंक अधिकारी और विनियम 4 में बताई गई किसी श्रेणी में नियुक्त या पदोन्नत या नियत किसी व्यक्ति से होगा और इसमें विनियम (2) के अन्तर्गत जिस कर्मचारी पर इनमें से कोई विनियम लागू किया गया हो अथवा विशेषज्ञ या तकनीकी व्यक्ति के रूप में नियत, नियुक्त या पदोन्नत व्यक्ति भी शाभिल होंगे;

(ट) "वेतन" का आशय गत्यावरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन से है;

(ठ) "संवेतन" का आशय वेतन और महंगाई भत्ते के योग से है;

(ड) "वर्ष" का आशय बारह मास की सतत् अवधि से है;

(ढ) "कैलेण्डर वर्ष" का आशय किसी वर्ष में जनवरी के पहले दिन से लेकर उसी वर्ष के दिसम्बर के इकतीसवें दिन तक की अवधि से है।

(d) "Competent Authority" means the authority designated for the purpose by the Board;

(e) "emoluments" means the aggregate of salary and allowances, if any;

(f) "family" means and includes the spouse of the officer (if the spouse is also not an employee of the Bank) and the children, parents, brothers and sisters of the officer wholly dependent on the officer but shall not include a legally separated spouse;

(g) "Government" means the Central Government;

(h) "Guidelines of the Government" shall mean such guidelines as may be issued by the Government and shall include the recommendations made in the Report of the Committee constituted by the Government's Resolution No.F.4 (26)/72/IR dated 19th July, 1973, as accepted by Government together with modifications or alterations thereof as may, from time to time, have been or be made by the Government;

(i) "Managing Director" means the Chairman and Managing Director of the Bank;

(j) "Officer" means a person fitted into or promoted to or appointed to any of the grades specified in Regulation 4 and any other person, who immediately prior to the appointed date, was an officer of the Bank, and shall also include any specialist or technical person as fitted or promoted or appointed and any other employee to whom any of these regulations has been made applicable under regulation 2;

(k) "pay" means basic pay including stagnation increment;

(l) "salary" means the aggregate of the pay and dearness allowance;

(m) "year" means a contineous period of twelve months;

(n) "calendar year" means the period commencing from the 1st day of January of a year and ending with 31st day of December of the same year.

अध्याय - II

पदों की श्रेणी एवं वर्गीकरण

श्रेणियां और वेतनमान

4. (1) 01.11.1987 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क)	उच्च कार्यपालक श्रेणी :	वेतनमान VII	रु.6400-150-7000
		वेतनमान VI	रु.5950-150-6550
(ख)	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :	वेतनमान V	रु.5350-150-5950
		वेतनमान IV	रु.4520-130-4910-140-5050-150-5350
(ग)	मध्य प्रबंधन श्रेणी :	वेतनमान III	रु.4020-120-4260-130-4910
		वेतनमान II	रु.3060-120-4260-130-4390
(घ)	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :	वेतनमान I	रु.2100-120-4020

4. (2) 01.07.1993 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क)	उच्च प्रबंधन श्रेणी :	वेतनमान VII	रु.12650-300-13250-350-13600-400-14000
		वेतनमान VI	रु.11450-300-12650
(ख)	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :	वेतनमान V	रु.10450-250-11450
		वेतनमान IV	रु.8970-230-9200-250-10450
(ग)	मध्य प्रबंधन श्रेणी :	वेतनमान III	रु.8050-230-9200-250-9700
		वेतनमान II	रु.6210-230-8740
(घ)	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :	वेतनमान I	रु.4250-230-4950-350-5290-230-8050

CHAPTER-II

Grade and Categorisation of Posts

Grades and Scales of pay

4. (1) On and from 1.11.1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a)	Top Executive Grade	Scale VII	Rs. 6400-150-7000
		Scale VI	Rs. 5950-150-6550
(b)	Senior Management Grade	Sclae V	Rs. 5350-150-5950
		Scale IV	Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350
(c)	Middle Management Grade	Scale III	Rs. 4020-120-4260-130-4910
		Scale II	Rs. 3060-120-4260-130-4390
(d)	Junior Management Grade	Scale I	Rs. 2100-120-4020

4. (2) On and from 1.7.1993, the scales of pay specified against each grade shall be revised as under :

(a)	Top Executive Grade	Scale VII	Rs. 12650-300-13250-350-13600-400-14000
		Scale VI	Rs. 11450-300-12650
(b)	Senior Management Grade	Scale V	Rs. 10450-250-11450
		Scale IV	Rs. 8970-230-9200-250-10450
(c)	Middle Management Grade	Scale III	Rs. 8050-230-9200-250-9700
		Scale II	Rs. 6210-230-8740
(d)	Junior Management Grade	Scale I	Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

4. (3) उप विनियम (1) और (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है।

(विनियम 4(i) के संबंध में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-I में दिए गए हैं।)

वेतनवृद्धियां

5. (1) विनियम 4(2) के उपबंधों के अध्यधीन, दिनांक 01.11.1992 को या उसके बाद से, वेतनवृद्धियां निम्नलिखित उप खण्डों के अध्यधीन दी जाएंगी :

(क) विनियम 4 के उपवर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी।

(ख) वेतनमान I तथा II अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष के पश्चात्, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में निर्दिष्ट आधार पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार पर लें।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II तथा III के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियो को, यथास्थिति, वेतनमान II तथा III के अंतिम प्रक्रम पर पहुंचने के पश्चात् प्रत्येक 3 वर्षो की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि(यां) दी जाएगी/जाएंगी। वेतनमान के अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु. 230/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान III के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु.250/- की एक वेतनवृद्धि दी जएगी।

परंतु 1.11.1994 और उसके बाद से, मूल वेतनमान III के अधिकारियों को अर्थात् जो वेतनमान III में भरती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी : अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात् भी

4. (3) Nothing in sub-regulations (1) and (2) shall be construed as requiring the Bank to have at all time, Officers serving in all these grades.

(The guidelines issued by the Government in terms of proviso to Regulation 4 (i) are given in Annexure-1)

Increments

5. (1) Subject to the provisions of Regulation 4 (2), on and from 1.11.1992, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accure on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment (s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment (s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 230/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 250/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1.11.1994 officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after

अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान II तथा III के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे।

(2) नियत तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आइ आइ बी) परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी।

स्पष्टीकरण I :

जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी ए आइ आइ बी) परीक्षा का भाग I या भाग II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो।

स्पष्टीकरण II :

(क) 01.11.1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सी ए आइ आइ बी परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा :

जिन्होंने सीएआइआइबी का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है :	(i) एक वर्ष पश्चात् रु.100/- प्रति माह जिसमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।
जिन्होंने सीएआइआइबी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं :	(i) एक वर्ष पश्चात् रु.100/- प्रति माह जिसमें से रु.75/- अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे।

receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

Explanation I :

In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

Explanation II :

(a) On and from 1.11.1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB :	(i) Rs. 100/- p.m. after one year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both Parts of CAIIB :	(i) Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.

(ii) दो वर्ष पश्चात् रु.250/- प्रति माह जिसमें से रु.200/ अधिवर्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।

(ख) 01.11.1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेंगी :

जिन्होंने सी ए आइ आइ बी का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु.120/- प्रति माह ।
जिन्होंने सी ए आइ आइ बी के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(i) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु.120/- प्रति माह । (ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर दो वर्ष पश्चात् रु.300/- प्रति माह ।

परंतु विनियम 5 (3) (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग I या II के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे ।

टिप्पणी :

(i) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, सी ए आइ आइ बी की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं अथवा केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धि (यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा ।

(ii) Rs. 250/- p.m. after two years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

(b) On and from 1.11.1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB	: i)	Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed both parts of CAIIB	: i)	Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.
	ii)	Rs. 300/- p.m. after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5 (3) (b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

Note :

(i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment (s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment (s).

(ii) 01.11.1994 को तथा उसके बाद से परिशेधित व्यावसायिक अर्हता भत्ते को मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

3. (क) जो अधिकारी 01.11.1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी। जो अधिकारी 01.11.1993 को परिवीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी।

टिप्पणी : अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुके हैं या जो 01.11.1993 को अवरोध वेतनवृद्धि (यां) प्राप्त कर चुके हैं वे 01.11.1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेंगे, जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 01.11.1993 को देय महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा। यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

वेतनवृद्धि घटक	01.11.1993 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)	(ख)	(ग)
रु.	रु.	रु.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

टिप्पणी : (i) ऊपर (सी) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारी कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक को आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) On and from 1.1.1994 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.

3. (a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November, 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

Note : There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment (s) as on 1st November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service :

Increment Component	DA as on 1.11.1993	Total F.P.A. payable where bank's accommodation is provided
(A)	(B)	(C)
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

Note : i) F.P.A. as indicated in (C) above shall be payable to those officer employees who are provided with bank's accommodation.

(ii) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता, विनियम 4 के उप विनियम (2) में निर्दिष्टानुसार संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर, (क) + (ख) + संबद्ध अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा।

(iii) नियत वैयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में देय व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष दिया जाएगा।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

(ग) जिस अधिकारी को यह अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर (ख) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी।

(विनियम 25 के संबंध में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध II में दिए गए हैं।)

वर्गीकरण

6. (1) विनिमय 4 में उल्लिखित श्रेणी या वेतनमानों में आनेवाले बैंक अधिकारियों के प्रत्येक पद का वर्गीकरण प्रयोग किए जाने वाले दायित्वों एवं कार्यों के महत्व के अनुरूप मंडल अथवा मंडल द्वारा इस हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और ऐसे वर्गीकरण की समीक्षा भी मंडल अथवा उक्त प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी। परन्तु नियत तिथि को विद्यमान पदों का वर्गीकरण उस तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के, यदि कोई हो, अनुसार किया जाएगा तथा उच्च कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी के पदों का वर्गीकरण प्रबंध निदेशक और सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) उपविनियम (1) के अंतर्गत पदों के वर्गीकरण के लिए बैंक की प्रत्येक शाखा का वर्गीकरण सरकार द्वारा अनुमोदित मानदण्ड के आधार पर छोटी, मध्यम, बड़ी, काफी बड़ी या अत्यधिक बड़ी शाखा के रूप में बैंक द्वारा किया जाएगा।

(विनियम 6 के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुबंध-3 में दिए गए हैं)

ii) F.P.A. for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B) + House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4 is earned.

(iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F.P.A. shall stand shifted to next year.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(c) An officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (b) above, one year after reaching the maximum of the scale.

(The guidelines issued by the Government in terms of proviso to Regulation 5 are given in Annexure 2)

Categorisation

6. (1) Having regard to the responsibilities and functions exercisable, every post of an officer in the Bank shall be categorised by the Board or any authority specified by the Board in this behalf as falling in any one of the grades or scales mentioned in regulation 4 and such categorisation may be reviewed by the Board or such authority.

Provided that the categorisation of the posts in existence on the appointed date shall be done before the expiry of two years from that date in accordance with guidelines of the Government, if any, and shall in respect of the posts in the senior management and top executive grades be done by a committee of the Managing Director and such other persons as may be appointed by the Government for the purpose.

(2) For the purposes of categorisation of posts under Sub-regulation(1), every branch of the Bank shall be classified by the Bank, in accordance with criteria to be approved by the Government as small, medium, large, very large or exceptionally large category.

(The guidelines issued by the Government in terms of Proviso to Regulation 6 are given in Annexure 3)

अध्याय-III

नई श्रेणी वेतनमान में विद्यमान और पदोन्नत अधिकारियों का नियतन–

नियत तिथि को पदों का वर्गीकरण

7. विनियम 6 के प्रावधानों के अधीन नियत तिथि को बैंक में अधिकारियों के विभिन्न पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार किया जाएगा-

तालिका

पद	जिस श्रेणी में रखा गया है
महाप्रबंधकगण	उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VII
उप महाप्रबंधकगण	उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI
सहायक महाप्रबंधकगण	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V
श्रेणी 'ए'	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV
श्रेणी 'बी'	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III
श्रेणी 'सी'	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II
श्रेणी 'डी'	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I

परन्तु उपर्युक्त वर्गीकरण से कोई कठिनाई या विसंगति उत्पन्न होने पर इसे ऐसी समिति के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा जिसमें प्रबंध निदेशक और सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अन्य व्यक्ति शामिल हों।

वेतनमानों में नियतन

8. (1) विनियम 7 के नीचे वर्णित तालिका के कालम 1 में उल्लिखित किसी पद पर नियत तिथि से ठीक पूर्व रहनेवाले ऐसे प्रत्येक बैंक अधिकारी का, जिसके पद का वर्गीकरण कालम 2 में

CHAPTER-III

Fitment of Existing Officers and Promotees in the new grades and scales of pay—

Categorisation on the appointed date

7. Subject to the provisions of Regulation 6, the various posts of officers in the Bank on the appointed date shall be categorised as specified in the Table below :-

TABLE

Posts	Grade in which placed
General Managers	Top Executive Grade Scale VII
Deputy General Managers	Top Executive Grade Scale VI
Assistant General Managers	Senior Management Grade Scale V
Grade "A"	Senior Management Grade Scale IV
Grade "B"	Middle Management Grade Scale III
Grade"C"	Middle Management Grade Scale II
Grade "D"	Junior Management Grade Scale I

Provided that any difficulties and anomalies arising out of the above categorisation shall be referred to a Committee consisting of the Managing Director and such other persons as may be appointed by the Government for this purpose for its decision.

Fitment in the scales of pay

8. (1) Every officer of the Bank who immediately before the appointed date holds a post specified in column 1 of the Table below Regulation 7 and whose post has been categorised in the grade specified in column 2 thereof; shall be fitted in the scale of pay

उल्लिखित श्रेणी में किया गया है, नियतन उस श्रेणी के लिए लागू वेतनमान में इस प्रकार किया जाएगा कि उस श्रेणी में उसके संवेतन का संबंध सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियत तिथि से ठीक पूर्व उसे देय कुल वेतन और महँगाई भत्ते से बना रहे।

(2) उप-विनियम (3) के अधीन रहते हुए नए वेतनमान में इस प्रकार नियत अधिकारी प्रतिकूल रूप से सूचित किए जाने तक ऐसे नए वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि, यदि कोई हो, उस तिथि को प्राप्त कर सकेगा जिस तिथि को वह नियत तिथि से ठीक पूर्व वेतनवृद्धि पाने का पात्र था।

(3) यदि नियत तिथि से ठीक पूर्व वेतनमान के आधार पर विभिन्न वरिष्ठता वाले दो या दो से अधिक अधिकारियों को नए वेतनमान में एक ही स्तर पर नियत कियां गया हो तो नए वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि के लिए ऐसे अधिकारियों की पात्रता की अलग-अलग तिथियां निश्चित की जा सकती हैं।

(4) यदि नियतन की उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों का नियतन प्रधान कार्यालय अथवा फिल्ड अथवा महानगरीय क्षेत्र अथवा अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत होने के आधार पर दो विभिन्न वेतनमानों में किया जाना है, तो केवल यह तथ्य कि नियत तिथि को वे किसी विशेष स्थान पर कार्यरत थे, उन्हें इस योग्य नहीं बनाता कि वे किसी विशेष श्रेणी में ही नियत किए जाएं तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को समुचित महत्व देते हुए यथोचित श्रेणी में उनका नियतन करने के लिए उनके अवस्थापन में बैंक द्वारा आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

उप-विनियम (1) का स्पष्टीकरण

वर्तमान सेवा- नियम के अधीन यदि किसी बैंक में महंगाई भत्ते के निर्धारण के लिए अधिकतम वेतन 641/- रुपये से कम है तो नए वेतनमान में नियतन के उद्देश्य से उसे 641/- रु. मान लिया जाएगा।

(विनियम 8(1) की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुबंध-4 में दिए गए हैं)

applicable to that grade in such a manner that his salary in that scale shall have relation with the aggregate pay plus dearness allowance payable to him immediately before the appointed date in accordance with the guidelines of the Government.

(2) Subject to sub-regulation (3) on being so fitted in the new scale of pay such officer shall be eligible to draw the next increment, if any, in such new scale on the date on which he would have been eligible to draw an increment immediately prior to the appointed date unless intimated to the contrary.

(3) Where two or more officers of different seniorities in the scales of pay immediately prior to the appointed date are fitted at the same stage in the new scale of pay, different dates may be fixed for the eligibility of such officers for the next increment in the new scale of pay.

(4) Where in the course of aforesaid scheme of fitment, officers have to be fitted in two different scales depending on whether they are located in the Head Office or in the field or metropolitan areas or other areas, the mere fact that on the appointed date they happen to be posted at a particular place or office shall not by itself entitle them to a fitment in a particular grade and the Bank may make suitable changes in placements so as to fit them in an appropriate grade, having due regard to their inter se seniority.

Explanation to sub-regulation (1)

Where in any bank the maximum pay ranking for dearness allowance under the existing rule of service is less than Rs. 641/-, for the purposes of fitment in the new scale of pay the same shall be assumed to be Rs. 641/-.

(The guidelines issued by the Government in terms of Regulation 8 (1) are given in Annexure-4.)

समायोजन भत्ता

9. यदि विनियम 8 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किसी अधिकारी का नए वेतनमान की अधिकतम सीमा में नियतन किया गया है और फिर भी उसका संवेतन नियतन से ठीक पूर्व उसे देय वेतन और महंगाई भत्ते एवं संबंधित श्रेणी में उसके नियतन की दृष्टि से विचारणीय किसी वेतन वृद्धि से कम हो, तो उच्चतर वेतनमान में उसकी पदोन्नति होने तक यह अंतर उसे समायोजन भत्ते के रूप में दिया जाएगा। यदि इस पदोन्नति के बाद भी संवेतन पदोन्नति से ठीक पहले उसे देय संवेतन और समायोजन भत्ते के योग से कम हो, तो यह अंतर उसे समायोजन भत्ते के रूप में ही मिलता रहेगा। परन्तु पदोन्नति के पश्चात् देय समायोजन भत्ते का समावेश भविष्य की वेतनवृद्धियों में प्रत्येक वेतनवृद्धि के 33-1/3 प्रतिशत तक अथवा ऐसी वेतनवृद्धि से हुई संवेतन में वृद्धि के 33-1/3 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी कम हो, किया जाएगा।

वैयक्तिक भत्ता

10. (1) यदि विनियम 8 निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नए वेतनमान में नियतन के बाद किसी अधिकारी को इन विनियमों के अधीन देय संवेतन और भत्ते, यदि कोई हो, नियतन से ठीक पूर्व उसे देय वेतन और निम्नलिखित स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धारित भत्तों के कुल योग से कम हो तो यह अंतर उसे वैयक्तिक भत्ते के रूप में दिया जाएगा जिसका समावेश भविष्य की वेतनवृद्धियों में प्रत्येक वेतनवृद्धि के 33-1/3 प्रतिशत तक अथवा ऐसी वेतनवृद्धि के फलस्वरूप संवेतन में हुई वृद्धि के 33-1/3 प्रतिशत तक, इनमें से जो भी कम हो, किया जाएगा।

इस विनियम के अनुसार नियतन से पूर्व देय भत्ते इस प्रकार हैं :

(I) मकान किराया भत्ता, जहाँ देय हो;

(II) वैयक्तिक भत्ता;

Adjustment allowance

9. If the pay of an officer after fitment in the new scale of pay in the manner referred to in regulation 8 is at the maximum of that scale and even then the salary of such officer is lower than the aggregate of pay and dearness allowance payable to him immediately before such fitment, together with additional increment if any, that may be taken into account for fitment of an officer in the category to which he belongs, the difference shall be paid to him by way of adjustment allowance till such time as he is promoted to a higher scale. If salary on such promotion is still less than the aggregate of salary and adjustment allowance payable to him immediately before such promotion, the difference shall continue to be paid to him as adjustment allowance; so, however, the adjustment allowance payable after such promotion shall be absorbed in the future increments to the extent of 33-1/3% of each such increment, or of 33-1/3% of increase in salary as a consequence of such increment, whichever is lower.

Personal allowance

10. (1) If the salary and allowances, if any, payable under these regulations to an officer after fitment in the new scale of pay in the manner referred to in regulation 8 is lower than the aggregate of pay and such allowances as are set out in the explanation to this regulation and were payable to him immediately before such fitment, the difference shall be paid to him as personal allowance which shall be absorbed in the future increments to the extent of 33-1/3% of each such increment or of 33-1/3% of the increase in the salary as a consequence of such increment, whichever is lower.

Explanation—

The allowances referred to in this regulation payable before fitment are the following :-

i) House Rent Allowance, wherever payable;

ii) Personal Allowance;

(III) स्थानांतरण भत्ता;

(IV) श्रेणी 'एं' के अधिकारियों को प्रतिपूरक महंगाई भत्ता;

(V) विशेष भत्ता।

टिप्पणी मकान किराया भत्ते का, जहां देय हो, आशय है :-

(क) जहां ऐसे नियतन से ठीक पूर्व अधिकारी को मकान किराया भत्ता देय था ऐसे भत्ते की रकम; या

(ख) यदि ऐसे नियतन से ठीक पूर्व लागू सेवा नियमों के अनुसार किसी अधिकारी को निःशुल्क आवास सुविधा दी गई थी, या प्रतिपूर्ति के आधार पर किराए पर आवास लेने की अनुज्ञा दी गई थी, तो इन नियमों के अंतर्गत मकान किराये भत्ते के रूप में दिया जानेवाला भत्ता या नये वेतनमान में नियत वेतन का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।

परंतु यदि विनियम 22 की शर्तों के अनुसार कोई अधिकारी मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का पात्र हो तो उपर्युक्त खंड (क) और (ख) के अधीन उसे देय वैयक्तिक भत्ते की राशि का, यदि कोई हो, मकान किराए भत्ते में मुजरा कर दिया जाएगा और ऐसे मुजरे के बाद बचा अंतर ही, यदि कोई हो, उसे देय होगा।

फर्नीचर के लिए किराये की राशि नये मूल वेतन के 2-1/2% की दर से वैयक्तिक भत्ते के भुगतान के लिए संरक्षित की जाए।

(2) उपर्युक्त उपविनियम 1 में उल्लिखित वैयक्तिक भत्ते की गणना करते समय नगर प्रतिपूरक भत्ते के अतिरिक्त उपयुक्त स्पष्टीकरण में यथाउल्लिखित अन्य किसी ऐसे भत्ते को सम्मिलित नहीं किया जाएगा जो नए वेतनमान में अधिकारी के नियतन के पूर्व उस पर लागू नियमों के अधीन किसी समय बंद हो चुका हो।

भावी वेतनवृद्धियों और बढोतरियों में समावेश

11. विनियम 9 व 10 में उल्लिखित भत्तों के समावेश के उद्देश्य से उसमें उल्लिखित 33-1/3 प्रतिशत की सीसा आवश्यकता पड़ने

iii) Transfer Allowance;

iv) Compensatory Dearness Allowance to officers in Grade 'A';

v) Special Allowance.

Note : The house rent allowance, wherever payable shall mean :-

(a) Where a house rent allowance was payable to the officer immediately before such fitment, the amount of such allowance; or

(b) Where immediately before such fitment in accordance with rules of service then applicable, an officer had been provided with a rent-free accommodation or allowed to hire accommodation on reimbursement basis, such allowance only as would have been payable to him under these rules as house rent allowance or 10% of pay on fitment in the new scale of pay, whichever is higher.

Provided that where an officer is eligible for house rent allowance in terms of regulation 22, the amount of personal allowance, if any, payable to him under clause(a) or (b) above shall be set off against such house rent allowance and difference, if any, after such set off shall alone be payable to him.

The amount of rent on account of furniture @ $2^1/_2$% of the new basic pay be protected for the payment of Personal Allowance.

(2) For the purpose of computation of the personal allowance provided in sub-regulation 1 above, such of the foregoing allowances excluding city compensatory allowance as mentioned in the explanation above would have ceased at any time to be payable to the officer under the rules applicable to him before fitment in the new scale shall be excluded.

Absorption against future increments and increases

11. For the purpose of absorbing the allowances mentioned in regulations 9 and 10, the 33-1/3%

पर पहले समायोजन भत्ते और बाद में वैयक्तिक भत्ते का समावेश करने के लिए लागू की जाएगी।

विद्यमान अधिकारियों के लिए विकल्प

12. (1) इन विनियमों में निहित किसी तथ्य के होते हुए भी नियत तिथि से ठीक पूर्व बैंक में सेवारत प्रत्येक अधिकारी को इस तिथि के पश्चात् भी नियत तिथि से ठीक पूर्व उस पर लागू वेतनमान में रहने का विकल्प होगा, परंतु उसे इसकी सूचना नए वेतनमान में उसके नियतन की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक को देनी होगी।

परंतु यह विकल्प केवल विनियम 7 के अनुसार नियत तिथि से ठीक पूर्व उसके वेतनमान के समकक्ष वेतनमान से उच्चतर विनियम 4 में निर्दिष्ट वेतनमानों में से किसी वेतनमान में अधिकारी की पदोन्नति तक लागू रहेगा।

(2) उप-विनियम (3) में किए गए प्रावधान के अतिरिक्त, जहाँ किसी अधिकारी ने ऐसे विकल्प का प्रयोग किया हो तो वह नियत तिथि से ठीक पूर्व बैंक की सेवा मे अपनी पात्रता के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता रहेगा।

परंतु किसी भी स्थिति में अधिकारी ऐसी हकदारी के अधीन अनुलाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा और केवल ऐसे अनुलाभ प्राप्त करने का हकदार होगा जो इन विनियमों के अधीन उसे स्वीकार्य है।

(3) कोई भी अधिकारी जिसने उप-विनियम (1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग किया हो एवं उप-विनियम (2) के अनुसार नियत तिथि से ठीक पूर्व बैंक की सेवा में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता रहा हो, उसे 1.2.1984 से इन विनियमों के अधीन लागू होनेवाले वेतन एवं भत्ते के लिए विकल्प देने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार के विकल्प का प्रयोग करने पर उसका नियतन नियत तिथि को सैद्धान्तिक रूप से नए वेतनमान में विनियम 8 में उल्लिखित तरीके से किया जाएगा और उसे ऐसी वेतनवृद्धि देने के पश्चात् जिसे वह इन

referred to therein shall be applied firstly for absorbing the adjustment allowance, if so necessary, and then the personal allowance.

Option for existing Officers

12. (1) Notwithstanding anything contained in these regulations, an officer in the service of the Bank immediately before the appointed date shall have the option to continue even after that date in the scale of pay applicable to him immediately before the appointed date by communicating to the Bank within 30 days of the receipt of the intimation regarding his fitment in the new scale of pay.

Provided that such option shall continue to have effect only till the officer is promoted to a scale in the scales of pay set out in Regulation 4 higher than the scale of pay to which the scale of pay under his entitlement immediately before the appointed date corresponds in accordance with Regulation 7.

(2) Save as provided in sub-regulation (3) where an officer has exercised such option, he shall continue to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date.

Provided that in any case the officer shall not be eligible for the perquisites under such entitlement but shall be entitled only to such perquisites as are admissible to him under these regulations.

(3) Any officer who has exercised option referred to in sub-regulation (1) and continues to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date, in terms of sub-regulation(2) shall be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from 1.2.1984. On exercising such option, he will be fitted notionally on the appointed date into the new scale of pay in the manner referred to in Regulation

विनियमों के अधीन 31.1.1984 तक प्राप्त करता, सरकार द्वारा इसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 1.2.1984 को उसका नियतन विनियम 4(1) में निर्धारित वेतनमान में किया जाएगा।

परंतु यदि उपर्युक्त तरीके से नियतन के बाद इन विनियमों के अधीन अधिकारी का कुल योग ऐसे नियतन के पूर्व 31.1.1984 को उसे देय वेतन एवं भत्ते के कुल योग से कम है तो उस अंतर को उसे वैयक्तिक भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा जिसे भावी वेतनवृद्धियों में ऐसी प्रत्येक वेतनवृद्धि के 33-$^{1}/_{3}$% तक या ऐसी वेतनवृद्धि के परिणामस्वरूप संवेतन में हुई 33-$^{1}/_{3}$% की वृद्धि तक, इनमें से जो भी कम हो, समाविष्ट किया जाएगा।

नियतन के विरुद्ध अपील

13. (1) नये वेतनमान में नियतन से प्रभावित कोई अधिकारी मंडल द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाई गई समिति के समक्ष अपील कर सकता है।

(2) यह अपील उसे नये वेतनमान में नियतन की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

(3) समिति संबंधित अधिकारी को मामले में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् जैसा उचित समझे, निर्णय कर सकती है;
परन्तु बोर्ड स्वेच्छा से अपने किसी निर्णय को पुनरीक्षित कर सकता है और यदि वह अपने किसी निर्णय का पुनरीक्षण करता है तो उसे संबंधित अधिकारी को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देना होगा।

8 and after granting him the increments he would have received in terms of these regulations upto 31/1/1984, he shall be fitted in the scale of pay set out in Regulation 4(1) as on 1.2.1984 in accordance with guidelines of the Government issued thereunder.

Provided that if aggregate of pay and allowances payable under these regulations to the officer after fitment as above is lower than the aggregate of pay and allowances that were payable to him as on 31.1.1984 before such fitment, the difference shall be paid to him as a Personal Allowance which shall be absorbed in the future increments to the extent of 33-1/3% of each such increment or 33-1/3% of the increase in the salary as a consequence of such increment whichever is lower.

Appeal against fitment

13. (1) Any officer aggrieved by a fitment accorded to him in the new scales of pay, may prefer an appeal to the Committee constituted by the Board for this purpose.

(2) Such appeal shall be preferred within 30 days of the receipt of the communication of the fitment accorded to him.

(3) The Committee may after giving an opportunity to the officer concerned to make his representation in the matter make such decision as it thinks fit;

Provided that the Board may of its own motion review any such decision and where it reveiws any such decision, it shall give an opportunity to the officer concerned to make his representation in the matter.

अध्याय-IV

नियुक्तियाँ, परिवीक्षा, स्थायीकरण, पदोन्नति, वरिष्ठता तथा सेवा-समाप्ति

नियुक्तियां

14. अधिकारी श्रेणी के लिए सभी नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के, यदि कोई हो, अनुसार की जाएंगी।

(विनियम 14 की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुबंध-5 में दिए गए हैं)

परिवीक्षा

15. (1) कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी में सीधे नियुक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी में पदोन्नत बैंक का कोई कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

(3) अन्य किसी श्रेणी में नियुक्त अधिकारी, बैंक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा।

परंतु सक्षम प्राधिकारी किसी अधिकारी के मामले में परिवीक्षा की अवधि को घटा सकता है या समाप्त कर सकता है।

स्थायीकरण

16. (1) यदि सक्षम प्राधिकारी के मतानुसार किसी अधिकारी ने किसी ऐसे संस्थान में, जिसमें उसे प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया हो, प्रशिक्षण और बैंक में अन्तर-सेवा प्रशिक्षण सन्तोषजनक रूप से पूरा किया हो तो उसे बैंक-सेवा में स्थायी किया जाएगा।

परंतु कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी में सीधे नियुक्त किसी अधिकारी से अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(2) यदि सक्षम प्राधिकारी के मत में अधिकारी ने उपविनियम (1) में निर्दिष्ट कोई अथवा दोनों प्रशिक्षण सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण नहीं किया है और उसमें निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो अधिकारी की परिवीक्षा अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

CHAPTER-IV

Appointment, Probation, Confirmation, Promotion, Seniority and Termination.

Appointments

14. All appointments in and promotions to the officer grade shall be made by the competent authority in the light of the guidelines of the Government, if any :

(The guidelines issued by the Government in terms of Regulation 14 are give in Annexure-5.)

Probation

15. (1) An officer directly appointed to the junior management grade shall be on probation for a period of two years.

(2) An employee of the Bank promoted as an officer in the junior management grade shall be on probation for one year.

(3) An officer appointed to any other grade shall be on probation for such period as may be decided by the Bank.

Provided that the competent authority may, in the case of any officer, reduce the period of probation or dispense with probation.

Confirmation

16. (1) An officer shall be confirmed in the service of the Bank if, in the opinion of the competent authority, the officer has satisfactorily completed the training in any institution to which the officer may have been deputed for training, and the in-service training in the Bank;

Provided, that an officer directly recruited to the junior management grade may be required also to pass a test in a language other than his mother tongue.

(2) If in the opinion of the competent authority an officer has not satisfactorily completed either or both the trainings referred to in sub-regulation (1) or if the officer has not passed the test referred to therein, the officer's probation may be extended by a further period not exceeding one year.

(3) यदि बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो, सहित परिवीक्षा अवधि में सक्षम प्राधिकारी का मत है कि उक्त अधिकारी स्थायीकरण के योग्य नहीं है, तो-

(क) सीधी नियुक्ति के मामले में एक मास की सूचना देकर या उसके बदले एक मास की परिलब्धियों का भुगतान कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है; और

(ख) बैंक सेवा में रहते हुए पदोन्नति पाए अधिकारी के मामले में उसे पूर्व की ऐसी श्रेणी या संवर्ग में पदावनत किया जा सकता है जिससे वह पदोन्नत हुआ हो।

पदोन्नतियां

17. (1) अधिकारी पद की सभी श्रेणियों में, समय-समय पर मण्डल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर पदोन्नतियाँ की जाएंगी, जिसमें सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को, यदि कोई हों, समुचित महत्व दिया जाएगा।

(2) किसी प्रकार की भ्रान्ति न हो, इसके लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यह विनियम कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी में कर्मचारी के किसी भी वर्ग की पदोन्नति के मामले में लागू होगा।

(विनियम 17 के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-6 में गए हैं)

वरिष्ठता

18. (1) बैंक प्रति वर्ष वरिष्ठता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर सेवारत अधिकारियों की सूची तैयार करेगा जिसमें बैंक द्वारा निर्धारित अन्य विवरणों का भी उल्लेख होगा। इस सूची की एक प्रति बैंक की प्रत्येक शाखा/कार्यालय में रखी जाएगी।

(2) किसी श्रेणी अथवा वेतनमान में अधिकारी की वरिष्ठता का निर्धारण उस श्रेणी अथवा वेतनमान में उसकी नियुक्ति की तारीख के आधार पर किया जाएगा। यदि एक ही श्रेणी या वेतनमान में दो या दो से अधिक अधिकारियों की समान सेवावधि हुई हो तो उनकी आपसी वरिष्ठता का निधरिण बैंक-सेवा में ठीक पूर्ववर्ती श्रेणी अथवा वेतनमान या पिछले संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक अधिकारियों की सेवावधि उनकी ठीक पूर्ववर्ती श्रेणी

(3) Where during the period of probation, including the period of extension, if any, the competent authority is of the opinion that the officer is not fit for confirmation—

(a) in the case of a direct appointee, his services may be terminated by one month's notice or payment of one month's emoluments in lieu thereof; and

(b) in the case of a promotee from the Bank's services, he may be reverted to the grade or cadre from which he was promoted.

Promotions

17. (1) Promotions to all grades of officers in the Bank shall be made in accordance with policy laid down by the Board from time to time having regard to the guidelines of the Government, if any.

(2) For the avoidance of doubts it is clarified that this regulation shall also apply to promotions of any category of employees to the junior management grade.

(The guidelines issued by the Government in terms of provisio to Regulation 17 are given in Annexure-6)

Seniority

18. (1) Each year, the Bank shall prepare a list of officers in its service showing their names in the order of their seniority on an all India basis and containing such other particulars as the bank may determine. A copy of such list shall be kept at every branch or office of the Bank.

(2) Seniority of an officer in a grade or scale shall be reckoned with reference to the date of his appointment in that grade or scale. Where there are two or more officers of the same length of service in that grade or scale, their inter-se-seniority shall be reckoned with reference to their seniority in the immediately preceding grade or scale or the previous cadre to which they belonged in the Bank's service. Where two or more officers have the same length of service in such preceding

या वेतनमान या पिछले संवर्ग में भी समान हो तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण यथास्थिति उनकी ठीक पूर्ववर्ती श्रेणी या वेतनमान या संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा।

(3) उप-विनियम (2) के प्रावधानों के अधीन

(क) किसी ग्रेड या वेतनमान में एक बैच में सीधी भर्ती किए गए अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता का निर्धारण ऐसी भर्ती के समय उन्हें दिए गए रैंक के आधार पर किया जाएगा।

(ख) यदि सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती किए गए अधिकारियों को किसी बैंक में नियुक्त किया जाता है तो इस प्रकार के एक ही तारीख को कार्यग्रहण करने वाले उम्मीदवारों के बीच आपसी वरिष्ठता का निर्धारण उन उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा और इसमें आरक्षित उम्मीदवारी को दिए गए सैद्धांतिक अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा।

(ग) तथापि यदि दो या दो से अधिक श्रेणी के अधिकारी जैसे तकनीकी क्षेत्र अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी और विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए पृथक वरिष्ठता सूची रखने की कोई पद्धति नहीं है तो सामान्य वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता का निर्धारण जन्म की तारीख के आधार पर किया जाएगा।

(4) यदि किसी अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो उसकी वरिष्ठता का निर्धारण उसी बैच में उसके साथ नियोजित या पदोन्नत सभी अधिकारियों के, यदि कोई हों, तुरन्त बाद किया जाएगा।

(5) यह विनियम नियत तिथि से ठीक पहले विद्यमान अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा।

सेवानिवृत्ति आयु

19. (1) अधिकारी संवर्ग के किसी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की आयु सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी –

"परन्तु यह कि इसमें इसके पश्चात् उपविनियम (2) में यथाउपबंधित विशेष समिति (समितियों) द्वारा समीक्षा करने पर बैंक अपने विवेकानुसार किसी अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी को 55 वर्ष की

grade or scale or such previous cadre, their seniority shall be determined with reference to their seniority in the immediately preceding grade or scale or cadre, as the case may be.

(3) Subject to the provision of the sub-regulation (2) :

(a) The inter-se seniority of officers directly recruited in a batch to any grade or scale shall be reckoned with reference to the rank allotted to them at the time of such recruitment.

(b) If officers recruited under the general category and reserved category are allotted to any bank, the seniority inter-se amongst the candidates so alloted who join on the same date shall be determined in accordance with the marks obtained by such candidates without adding notional marks for the reserved candidates.

(c) If, however, two or more categories of officers such as technical field officers, agricultural field officers and general officers join on the same date and if there is no system of maintaining separate seniority list for the different categories of officers, seniority in the common seniority list shall be determined on the basis of the date of birth.

(4) In the case of an officer whose probation has been extended, his seniority shall be reckoned just below all the officers, if any, recruited or promoted in the same batch along with him.

(5) Nothing in this regulation shall affect the seniority among themselves of the officers as existing immediately prior to the appointed date.

Age of retirement

19. (1) The age of retirement of an officer employee shall be as determined by the Board in accordance with the guidelines issued by the Government from time to time—

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in sub-

आयु पूरी करने पर या उसके बाद किसी समय भी अथवा अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी के रूप में या अन्यथा 30 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर या उसके बाद किसी समय भी, इनमें से जो भी पहले हो, यदि बैंक के विचार में यह कार्य जन हित में है तो सेवा निवृत्त कर सकता है।

परन्तु यह और कि किसी अधिकारी को सेवा-निवृत्त करने से पहले उसे लिखित रूप में तीन महीने की सूचना या तीन महीने के वास्तविक संवेतन/वेतन व भत्ते की समतुल्य राशि का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी के आदेश से असन्तुष्ट कोई अधिकारी, जैसा कि उप विनियम (2) में उपबंधित है, आदेश जारी होने के एक माह के भीतर निदेशक मण्डल के समक्ष सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध लिखित रूप में अभ्यावेदन दे सकता है और सम्बन्धित अधिकारी से इस प्रकार का अभ्यावेदन पाकर निदेशक मण्डल उसके अभ्यावेदन पर विचार करेगा तथा तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय लेगा। यदि निदेशक मण्डल यह निर्णय करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश न्यायसंगत नहीं है तो सम्बन्धित अधिकारी को पुनः बहाल किया जाएगा तथा यह मान लिया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया है;

परन्तु यह और भी कि इस विनियम में अंतर्विष्ट कोई बात किसी अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी को बैंक के नियमों के अनुसार अपने विकल्प का प्रयोग करने पर पहले सेवा-निवृत्त होने से नहीं रोकेगी।

स्पष्टीकरण

अधिकारी संवर्ग का कर्मचारी उस महीने की अंतिम तारीख को सेवा-निवृत्त होगा जिस महीने में उसने सेवा निवृत्ति की आयु पूरी की हो।

(2) इस विनियम के प्रथम परन्तुक के अनुसार अधिकारी संवर्ग के किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए या नहीं, इस विषय पर समीक्षा करने के लिए कम से कम तीन सदस्यों की एक विशेष समिति (समितियों) का गठन बैंक करेगा। ऐसी

regulation (2) retire, if it is of the opinion that it is in the public interest, an officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as an officer employee or otherwise, whichever is earlier."

Provided further that before retiring an officer employee, at least three month's notice in writing or an amount equivalent to three months' substantive salary/pay and allowances, shall be given to such officer employee;

Provided further that an officer aggrieved by the order of the Competent Authority, as provided in sub-regulation (2) may, within one month of the passing of the order, give in writing a representation to the Board of Directors against the decision of the Competent Authority, and on receipt of such representation from the concerned officer, the Board of Directors shall consider his representation and take a decision within a period of three months. Where the Board of Directors decides that the order passed by the Competent Authority is not justified, the concerned officer shall be reinstated as though the Competent Authority has not passed the order;

Provided also that nothing in this regulation shall be deemed to preclude an officer employee from retiring earlier pursuant to the option exercised by him in accordance with rules in the Bank.

Explanation

An officer employee will retire on the last day of the month in which he completes his age of retirement.

(2) The Bank shall constitute a Special Committee(s) consisting of not less than three members to review whether an officer employee should be retired in accordance with the first proviso to this regulation. Such Committee(s) shall, from time to time, review

समिति (समितियाँ) समय-समय पर प्रत्येक अधिकारी के मामले की समीक्षा करेगी और किसी अधिकारी की सेवा निवृत्ति के बारे में जब तक ऐसी समिति (समितियाँ) सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप से सिफारिश नहीं करेगी, तब तक उस अधिकारी को सेवानिवृत्त करने का आदेश नहीं दिया जाएगा।

(विनिमय 19(1) एवं (2) के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त अनुबंध-7 में दिए गए हैं)

सेवा समाप्ति

20.(1)(क) विनियम 16 के उप-विनियम 3 के अध्यधीन जहां बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि किसी अधिकारी का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक है या अपर्याप्त है, या उसकी ईमानदारी के बारे में वास्तव में संदेह है या उसे बैंक में रखे जाने से बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जहां अनुशासनिक प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करना संभव या समीचीन नहीं है, वहां समय-समय पर सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बैंक उसे तीन महीने की नोटिस देकर या उसके बदले परिलब्धियां देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

(ख) इस उप-विनियम के अधीन सेवा समाप्ति का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उस अधिकारी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध बैंक के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर नहीं दिया जाता है।

(ग) उपर्युक्त उप-विनियम (क) के अधीन अधिकारी संवर्ग के किसी कर्मचारी की सेवा-समाप्ति का निर्णय केवल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा ही लिया जाएगा।

(घ) अधिकारी संवर्ग का कर्मचारी बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष 15 दिनों के भीतर उपर्युक्त उप-विनियम (क) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का हकदार होगा। यदि अपील मंजूर कर ली जाती है तो उप-विनियम (क) के अधीन दिया गया आदेश रद्द समझा जाएगा।

(ङ) जहां अधिकारी संवर्ग के किसी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हों और उसे नोटिस के बदले तीन महीने की परिलब्धियों की राशि दे दी गई हो तथा अपील के बाद उसकी सेवा-समाप्ति

the case of each officer employee and no order of retirement shall be made unless the Special Committee(s) recommend(s) in writing to the Competent Authority the retirement of the Officer employee.

(The guidelines issued by the Government in terms of proviso to Regulation 19(1) & (2) are given in Annexure-7.)

Termination of service

20.(1) (a) Subject to sub-regulation 3 of regulation 16 where the Bank is satisfied that the performance of an officer is unsatisfactory or inadequate or there is a bonafied suspicion about his integrity or his retention in the Bank's service would be prejudicial to interests of the Bank, and where it is not possible or expedient to proceed against him as per the disciplinary procedure, the Bank may terminate his services on giving him three months' notice or emoluments in lieu thereof in accordance with the guidance issued by the Government from time to time.

(b) Order of termination under this sub-regulation shall not be made unless such officer has been given a reasonable opportunity of making a representation to the Bank against the proposed order.

(c) The decision to terminate the services of an officer employee under sub-regulation (a) above will be taken only by the Chairman and Managing Director.

(d) The officer employee shall be entitled to appeal against any order passed under sub-regulation (a) above by preferring an appeal within 15 days to the Board of Directors of the Bank. If the appeal is allowed, the order under sub-regulation (a) shall stand cancelled.

(e) Where an officer employee whose services have been terminated and who has been paid an amont of three months emoluments in lieu of notice and on appeal his termination is cancelled, the amount

का आदेश रद्द कर दिया गया हो, वहां नोटिस के बदले उसे दी गई राशि उसके उस वेतन के साथ समायोजित की जाएगी जिसे वह अर्जित करता यदि उसकी सेवाएं समाप्त नहीं की जाती और वह बैंक के नियोजन में उन्हीं निबंधनों एवं शर्तों पर रहेगा मानो उसकी सेवा-समाप्ति का आदेश पारित ही नहीं किया गया हो।

(च) अधिकारी संवर्ग के जिस कर्मचारी की सेवाएं उप-विनियम (क) के अधीन समाप्त कर दी जाती हैं उसे उसकी सेवा के वर्षों पर विचार किए बिना उपदान, नियोजक के अंशदान सहित भाविष्यनिधि तथा अन्य सभी बकाया राशियों, जो उसे नियमानुसार स्वीकार्य हों, प्रधान की जाएंगी।

(छ) इसके ऊपर की कोई भी बात विनियम 19(1) के अधीन अधिकारी संवर्ग के किसी कर्मचारी को सेवा निवृत्त करने के बैंक के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(2) कोई अधिकारी बैंक की सेवा छोड़ने या समाप्त करने या पदत्याग करने के अपने आशय के संबंध में पहले लिखित नोटिस दिए बिना बैंक की सेवा नहीं छोड़ेगा या समाप्त नहीं करेगा/इसके लिए नोटिस देने की अपेक्षित अवधि 3 महीने होगी और वह इन विनियमों में विहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

परंतु यह और कि सक्षम प्राधिकारी 3 महीने की अवधि को कम कर सकता है या नोटिस की अपेक्षा से छूट दे सकता है।

(3) (i) जिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित है, वह सक्षम प्राधिकारी से लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना बैंक की अपनी सेवा नहीं छोड़ेगा/समाप्त नहीं करेगा या पदत्याग नहीं करेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान या पहले दी गई कोई भी नोटिस या त्यागपत्र तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है।

(ii) इस विनियम के प्रयोजनार्थ किसी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां तभी लम्बित समझी जाएंगी यदि उसे निलंबित किया गया हो या उसे इस आशय की कारण बताओ नोटिस

paid to him in lieu of notice shall be adjusted against the salary that he would have earned, had his services not been terminated and he shall continue in the Bank's employment on same terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all.

(f) An officer employee whose services are terminated under sub-regulation(a) above shall be paid Gratuity, Provident Fund including employer's contribution and all other dues that may be admissible to him as per rules not withstanding the years of service rendered.

(g) Nothing contained hereinabove will affect the Bank's right to retire an officer employee under Regulation 19 (1).

2. An officer shall not leave or discontinue his service in the Bank without first giving a notice in writing of his intention to leave or discontinue his service or resign. The period of notice required shall be 3 months and shall be submitted to the Competent Authority as prescribed in these regulations.

Provided further that the competent authority may reduce the period of 3 months or remit the requirement of notice.

3. (i) An officer against whom disciplinary proceedings are pending shall not leave/discontinue or resign from his service in the bank without the prior approval in writing of competent authority and any notice or resignation given by such an officer before or during the disciplinary proceedings shall not take effect unless it is accepted by the Competent Authority.

(ii) Disciplinary proceedings shall deemed to be pending against any employee for the purpose of this regulation if he has been placed under suspension or any notice has been issued to him

जारी की गई हो कि उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां क्यों नहीं संस्थित की जाएं और ये तब तक लंबित समझी जाएंगी जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित नहीं कर दिए जाएं।

(iii) जिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारंभ की गई हैं उसकी सेवा अधिवर्षिता की तारीख को समाप्त समझी जाएगी लेकिन अनुशासनिक कार्यवाहियां समाप्त होने तक और उसके बाबत अंतिम आदेश पारित कर दिए जाने तक उसी प्रकार जारी रहेंगी मानो वह सेवा में हो। संबंधित अधिकारी अधिवर्षिता की तारीख के बाद कोई वेतन और/या भत्ता प्राप्त नहीं करेगा। वह अभिदायी भविष्यनिधि में अपने अंशदान के अलावा सेवा निवृत्ति के लाभ का भुगतान प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कार्यवाहियां समाप्त नहीं हो जाती और उन पर अंतिम आदेश पारित नहीं कर दिया जाता।

अध्याय-V

भत्ते

महंगाई भत्ता

21. (1) 01.11.1987 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी–

(i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा।

(ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(i) रु.2,500/- तक 'वेतन' का 0.67%, धन (+),

(ii) रु.2,500/- से ऊपर परंतु रु.4,000/- तक 'वेतन' का 0.55%, धन (+),

(iii) रु.4,000/- से ऊपर परंतु रु.4,260/- तक 'वेतन' का 0.33%, धन (+),

(iv) रु.4,260/- से ऊपर 'वेतन' का 0.17%

21: (2) 01.07.1993 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा-

to show cause why disciplinary proceedings shall not be instituted against him and will be deemed to be pending until final orders are passed by the Competent Authority.

(iii) The officer against whom disciplinary proceedings have been initiated will cease to be in service on the date of superannuation but the disciplinary proceedings will continue as if he was in service until the proceedings are concluded and final order is passed in respect thereof. The concerned officer will not receive any pay and/or allowance after the date of superannuation. He will also not be entitled for the payment of retirement benefits till the proceedings are completed and final order is passed thereon except his own contributions to CPF.

CHAPTER-V

Allowances :

Dearness allowance

21. (1) On and from 1.11.1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (Genenral) Base 1960=100

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500/- plus,

(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus,

(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus,

(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260/-

21. (2) On and from 1.7.1993, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 1184 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा।

(ii) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(क) रु.4,800/- तक वेतन का 0.35%, धन (+),

(ख) रु.4,800/- से ऊपर परंतु रु.7,700/- तक वेतन का 0.29%, धन (+),

(ग) रु.7,700/- से ऊपर परंतु रु.8,200/- तक वेतन का 0.17%, धन (+)

(घ) रु.8,200/- से ऊपर वेतन का 0.09%

टिप्पणी :(i) महंगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु वेतन से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत है।

(ii) महंगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 01.11.1994 से गिना जाएगा।

मकान किराया भत्ता

22. (1) 1.11.1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में हैं उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 4% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।

(2) 1.11.1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :-

स्तंभ I	स्तंभ II
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानें पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर तथा समूह 'ए' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 13% प्रतिमाह

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(a) 0.35% of 'pay' upto Rs. 4800/- plus,

(b) 0.29% of 'pay' above Rs. 4800/- to Rs. 7700/ plus,

(c) 0.17% of 'pay' above Rs. 7700/- to Rs. 8200/ plus,

(d) 0.09% of 'pay' above Rs. 8200/-

Note :(i) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for dearness allowance with effect from 1.11.1994.

House rent allowance

22. (1) Where an officer is provided with residential accommodation by the bank, on and from 1.11.1994, a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(2) Where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from 1.11.1992 for House Rent Allowance at the following rates :—

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.

स्तंभ I	स्तंभ II
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% प्रतिमाह
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का $10^1/_2$% प्रतिमाह
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 9-1/2% प्रतिमाह

परंतु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 4% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ II के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, होगा।

टिप्पणी : (i) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा 1.7.1993 को परिशोधित वेतनमान के अनुसार अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं।

(ii) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 1.11.1994 से प्रभावी माना जाएगा।

(3) यदि कोई अधिकारी अपने ही मकान में रहता है तो उसे उप-विनियम (2) के परंतुक में उल्लिखित के आधार पर इस प्रकार मकान किराया भत्ता मिलेगा मानो वह निम्नलिखित "अ" अथवा "आ" में से उच्चतर के बारहवें भाग के बराबर राशि मासिक किराए के रूप में दे रहा हो :

"अ"

निम्नलिखित का योग :-

(i) निवास स्थान के लिए देय नगरपालिका कर, और

(ii) भूमि की लागत सहित निवास स्थान की पूंजीगत लागत का 12%, और यदि निवास स्थान किसी भवन का भाग है तो

Column I	Column II
Where the place of work is in	HRA payable shall be
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	$10^1/_2$% of the pay p.m.
(iv) Area III	$9^1/_2$% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation is excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower.

Note :(i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments in terms of revised pay scales as on 1.7.1993.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance with effect from 1.11.1994.

3. Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below :-

A

The aggregate of :-

i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and

ii) 12% of the capital cost of the accommodation

उतने भाग की भूमि के आनुपातिक हिस्से की पूंजीगत लागत, किन्तु इसके अंतर्गत वातानुकूलक जैसे विशेष जुड़नार शामिल नहीं होंगे, अथवा

"आ"

निवास स्थान के लिए नगरपालिका कर निर्धारण हेतु आँका गया वार्षिक किराया मूल्य।

स्पष्टीकरण :

(1) इस विनियम के प्रयोजन हेतु "मानक किराया" से अभिप्रेत है;

(क) बैंक के स्वामित्व वाले निवास स्थानों के मामले में सरकार द्वारा ऐसे निवास स्थानों के संबंध में प्रचलित पद्धति के अनुसार आँका गया मानक किराया।

(ख) दिनांक 1.4.1990 से, यदि निवास स्थान बैंक द्वारा किराए पर लिया गया है तो बैंक द्वारा देय संविदागत किराया या उपर्युक्त (क) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार परिकलित किराया, इनमें से जो भी कम हो।

(2) इस विनियम में और विनियम 23 में क्षेत्र I, क्षेत्र II और क्षेत्र III से निम्नलिखित अभिप्रेत होंगे–

क्षेत्र I 12 लाख से अधिक आबादी वाले स्थान

क्षेत्र II - क्षेत्र I में शामिल से अन्यथा ऐसे सभी नगर जिनकी आबादी 1 लाख और उससे अधिक हो

क्षेत्र III - एसे सभी स्थान जो क्षेत्र I और क्षेत्र II में शामिल नहीं हों।

(विनियम 22(2) परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-8 में दिए गए हैं)

अन्य भत्ते

23. कोई अधिकारी निम्नलिखित अन्य भत्ते पाने का पात्र होगा, यथा :-

(i) 1.11.1993 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो

including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation :-

(1) For the purpose of this Regulation "standard rent" means :-

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government;

(b) With effect from 1.4.1990 where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area I, Area II and Area III shall mean as under :—

Area I - Places with a population of more than 12 lakhs.

Area II - All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more.

Area III - All places not included in Area I and Area II.

(The guidelines issued by the Government in terms of proviso to Regulation 22(2) are given in Annexure-8)

Other Allowances

23. An officer shall be eligible for the following other allowances namely :—

i) On and from 1.11.1993, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below,

वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :

स्थान (1)	दर (2)
(क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4-1/2% अधिकतम रु.335/- प्रतिमाह
(ख) 5 लाख तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते।	मूल वेतन का 3-1/2% अधिकतम रु.230/- प्रतिमाह

(ii) सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप, समय-समय पर मण्डल द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में और निश्चित दर से विशेष क्षेत्र भत्ता देय होगा।

(iii) यदि वह ग्रुप "ए" अथवा ग्रुप "बी" के किसी परियोजना क्षेत्र में सेवारत है तो उसे निर्धारित ग्रुप "ए" अथवा ग्रुप "बी" में क्रमशः रु. 40/- या रु. 25/- प्रतिमास की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता देय होगा।

(iv) दिनांक 1.1.87 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी का स्थानान्तरण किसी शैक्षिक वर्ष के मध्य में किया जाता है और पूर्ववर्ती स्थान पर उसके एक या एक से अधिक बच्चे स्कूल या कालेज के विद्यार्थी हैं, तो उसे दूसरे स्थान पर कार्यग्रहण करने की तिथि से, उस शैक्षिक वर्ष के अन्त तक सभी बच्चों के लिए रु. 150/- प्रतिमास "मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता" देय होगा, परन्तु पूर्ववर्ती स्थान में सभी बच्चों द्वारा अध्ययन समाप्त करने पर इस भत्ते का भुगतान बंद हो जाएगा।

(v) दिनांक 1.11.1987 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता

a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable.

Places (1)	Rates (2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4-1/2% of basic pay subject to a maximum of Rs.335/- per month.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3 1/2% of basic pay subject to a maximum of Rs. 230/- per month.

ii) A special area allowance at such places and at such rates as may be decided by the Board from time to time having regard to the guidelines of the Government.

iii) If he is serving in an area to be specified as project area falling in Group A or Group B a project area compensotory allowance at the rate of Rs. 40/- p.m. or Rs. 25/- p.m., according as the area has been classified as Group A or Group B.

iv) On and from 1.1.87, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college in the former place, a mid-academic year transfer allowance of Rs. 150/- p.m., from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

v) On and from 1.11.1987, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive

है वह अपने प्रतिनियुक्त पद से सम्बन्धित परिलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है या वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन का 12%, अधिकतम रु. 700/- प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे सभी भत्ते जो उस स्थान पर पदस्थापित होने पर उसे देय होते, प्राप्त कर सकता है;

परन्तु यदि प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व के पदस्थापन स्थान पर स्थित किसी संस्थान में उसे प्रतिनियुक्त किया गया हो तो उसे वेतन का 6%, अधिकतम रु. 350/- प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई अधिकारी बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में या बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने वेतन का 6%, अधिकतम रु. 350/- प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

(vi) दिनांक 1.11.1987 को और उसके बाद से, यदि वह किसी उच्चतर श्रेणी के पद पर लगातार कम से कम 7 दिन अथवा एक कैलेन्डर मास में कुल 7 दिन स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो उसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने की अवधि के लिए उसके वेतन का 6%, लेकिन अधिक से अधिक रु. 250/ प्रति माह स्थानापन्न भत्ता मिलेगा। स्थानापन्न भत्ता केवल भविष्यनिधि के प्रयोजन के लिए वेतन माना जाएगा, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं।

परन्तु विनियम 6 के अन्तर्गत केवल पदों के वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप यदि कोई अधिकारी उच्चतर वेतनमान में स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है तो उसे वर्गीकरण की समीक्षा के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक किसी प्रकार का स्थानापन्न भत्ता देय नहीं होगा।

(vii) वित्तीय वर्ष 1989-90 और उसके बाद से, यदि वह किसी ऐसी शाखा में तैनात किया जाता है जहां 31 मार्च और 30 सितंबर को बहियों का समापन कार्य होता है तो उसे ऐसी प्रत्येक लेखाबंदी के लिए रु. 150/- लेखाबंदी भत्ता दिया जाएगा।

the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alteranatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay, maximum Rs. 700/- and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay, maximum Rs. 350/-.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay, maximum Rs. 350/-.

vi) On and from 1.11.1987, if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to maximum of Rs. 250/ - p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident fund and not for other purposes. Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

vii) On and from financial year 1989-90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150/- for each of the two closings.

(viii) दिनांक 1-1-1990 को और उसके बाद से, यदि उसके एक दिन के कार्य-समय में विभाजन किया जाता है और कार्य-समय में कम से कम दो छोटे का अंतराल होता है तो उसे रु. 35/- प्रतिमाह सेवा विभाजन भत्ता दिया जाएगा।

(ix) यदि वह अवकाश के दिन वाल्ट या तिजोरी के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है तो उस पर लागू दर से उसे दैनिक भत्ता देय होगा।

(x) दिनांक 1.11.1987 को और उसके बाद से, यदि वह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवारत है तो उसे स्तंभ 2 में उल्लिखित दर से पर्वत तथा इंधन भत्ता दिया जाएगा :-

स्थान	दर
i) 1000 मीटर और उससे अधिक, परंतु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा शहर	वेतन का 5%, अधिकतम रु. 130/-
ii) 1500 मीटर और उससे अधिक, परंतु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 6-1/2%, अधिकतम रु. 160/-
iii) 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 15%, अधिकतम रु. 600/-

टिप्पणी :(क) कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर, जो उससे अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों से घिरे हुए हों और जिन तक पहुंचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पार करनी पड़ती हो, तैनात अधिकारियों को 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों के लिए देय दर पर पर्वत तथा ईंधन भत्ता दिया जाएगा;

(ख) उक्त वर्गीकरण के अंतर्गत न आने वाले किसी भी केन्द्र में फिलहाल दिए जाने वाले पर्वत तथा ईंधन भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे। दिनांक 1.11.1987 और 30.4.1989 के बीच दिया गया भत्ता वसूल नहीं किया जाएगा। 1 मई, 1989 से आगे

viii) On and from 1.1.1990, if his working hours during a day are split with minimum interval of 2 hours, a Split Duty Allowance of Rs. 35/- p.m.

ix) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, a diem allowane at the rate to which he is entitled.

x) On and form 1.11.1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :-

Place	Rate
i) Place with an altitude of 100 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town.	5% of pay subject to be maximum of Rs. 130/-
ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres.	$6^1/_2$% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-.
iii) Place with an altitude of 3000 metres and above.	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-.

Note : (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid Hill and Fuel Allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1.11.1987 and 30.4.1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989 onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under

उक्त तारीख को अथवा उसके पहले से उस केन्द्र पर उसी वेतनमान में तैनात रहने की तारीख तक केवल पुराने प्रावधानों के अनुसार 30 अप्रैल को मिल रहे भत्ते के बराबर, राशि का संरक्षण दिया जाएगा।

नोट : विद्यमान दरों/गुणक घटकों के संशोधित होने तक मूल वेतन से संबंधित विनियम 23(v), 23(vi) तथा 23(x) के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता, स्थानापन्न भत्ता एवं पर्वत तथा इंधन भत्ते पुराने वेतन के अनुसार दिए जाएंगे।

(विनियम 23(ii) के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-9 में दिए गए हैं)

अध्याय-VI

अनुलाभ :

चिकित्सा सहायता

24. (1) अधिकारी अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात् :-

(क) **चिकित्सा व्यय**

1.11.1994 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी। इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा :

सारणी

श्रेणी	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
1	2
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु.1,500/-
वरिष्ठ प्रबंधन तथा उच्च कार्यपालक श्रेणी	रु.2,000/-

the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.

NB : Payment of Deputation Allowance, Officiating Allowance and Hill & Fuel Allowance in terms of Regulation 23(v), 23(vi) and 23(x) related to Basic Pay to continue in terms of Old Basic Pay till the existing rates/multiplying factors are revised.

(The guidelines issued by the Government in terms of Proviso to Regulation 23 (ii) are given in Annexure 9)

CHAPTER-VI

Perquisites :

Medical Aid

24. (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :—

(a) **Medical Expenses**

On and from 1.11.1994 reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :—

Table

Grade	Reimbursement limit p.a.
1	2
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 1500/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 2000/-

टिप्पणी : (i) उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परंतु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी।

(ii) चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1994 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर, 1994 के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के परिवार में पति/पत्नी, पूर्णत: आश्रित संतान और पूर्णत: आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

(ख) **अस्पताल में भर्ती खर्च**

(i) 1.11.1994 को और उसके बाद से, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 100% तक और परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथास्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगरपालिका अस्पताल अर्थात् किसी न्यास, धर्मार्थ संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित (निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलें में प्रतिपूर्ति ऊपर वर्णित अस्पतालों मे भर्ती पर प्रतिपूर्ति-योग्य राशि तक सीमित रहेगी।

(iii) 1.11.1994 को या उसके बाद से, मान्यताप्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित

Note : (i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e. November and December, 1994.

Explanation :

'Family' of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) **Hospitalisation Expenses :**

(i) On and from 1.11.1994, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital, i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or religious mission. But in unavoidable circums-tances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1.11.1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be

रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों की अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :

कैंसर, श्वेतरक्तता, थैलसामिया, तपेदिक, पक्षाघात, हृदयरोग, कुष्ठ रोग, गूर्दे की खराबी, मिरगी, पार्किन्सन की बीमारियां, मनोविकार दोष और मधुमेह।

टिप्पणी : घरेलू उपचार के मामले में दवाओं आदि की लागत की प्रतिपूर्ति विशेषज्ञ के नुस्खे में उल्लिखित अवधि के लिए की जाएगी। यदि अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु नुस्खा 90 दिनों तक वैध होगा।

(2) उक्त उप-विनियम (i) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के होते हुए भी और उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए, नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) बैंक में उपलब्ध थे, निदेशक-मण्डल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, उन्हें बनाए रखने का विनिश्चय कर सकता है और यदि निदेशक मण्डल ऐसा तय करता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निलंबित अधिकारियों को भी दी जाएंगी।

(विनियम 24 के संबंध में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-10 में दिए गए हैं।)

आवासीय सुविधा

25. अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा। किंतु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1.11.1994 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 4% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा।

certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100% in case of an officer and 75% in the case of his family members :—

Cancer, Leukaemia, Thalsamea, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Leprosy, Kidney Ailment, Epilepsy, Parkinson's Disease, Psychiatric Disorder and Diabetes.

Note : The cost of medicines etc. in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialist's prescription. If no period is stated, the prescription for the purpose of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days.

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in sub-Regulation (1) above and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalisation, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the Bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.

(The Guidelines issued by the Govt. is terms of Regulations 24 are given is Annexure-10)

Residential accommodation

25. No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the bank, it shall, however, be open to the bank to provide residential accommodation on payment by the officer on and from 1.11.1994 a sum equal to 4% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

परंतु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी।

(विनियम 25 के संबंध में सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-11 में दिए गए हैं।)

यदि बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे।

व्यक्तिगत उपयोग के लिए बैंक की कार

26. (1) सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत कार्य के लिए बैंक की कार का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) बैंक की कार का व्यक्तिगत उपयोग सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप समय-समय पर बैंक द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए।

(विनिमय 26 के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध 12 में दिए गए हैं)

वाहन खरीदने के लिए ऋण

27. बैंक सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए मण्डल द्वारा सामान्य रूप से या किसी विशेष ऋण के सम्बन्ध में बनाए गए निबंधन एवं शर्तों के अधीन बैंक सेवा में स्थायी अधिकारी को मोटरकार या अन्य वाहन खरीदने के लिए ऋण प्रदान कर सकता है।

(विनियम 27 के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-13 में दिए गए हैं)

मकान खरीदने के लिए ऋण

28. बैंक सेवा में स्थायी अधिकारी को गृह निर्माण हेतु भूमि की खरीद के लिए या गृह, फ्लैट या अपार्टमेन्ट की खरीद या निर्माण के लिए या गृह, फ्लैट या अपार्टमेन्ट के परिवर्द्धन या मरम्मत के लिए बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जा सकता है। यह ऋण सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए मण्डल द्वारा सामान्य रूप से या किसी विशेष ऋण के संबंध में बनाए गए निबंधन एवं शर्तों के अधीन दिया जाएगा।

Provided that a further sum equal to 1% basic pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the bank from an officer if furniture is provided at such residence.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

(The Guidelines issued by the Govt. is terms of Regulation 25 are given is Annexure-11)

Banks car for personal purposes

26. (1) No officer, other than the officers authorised by the Board, in accordance with guidelines of Government, shall be allowed the use of the Bank's car for personal purposes.

(2) The use of the Bank's car for personal purposes should be subject to the rules formulated by the Bank in accordance with guidelines of the Government from time to time.

(The guidelines issued by the Government in terms of proviso to Regulation 26 are given in Annexure-12)

Loan for the purchase of conveyance

27. The Bank may grant to an officer confirmed in the Bank's service loans for the purchase of a motor car or other conveyance subject to such terms and conditions as the Board may decide either generally or with reference to any particular loan having regard to the guidelines of the Government.

(The guidelines issued by the Government in terms of proviso to Regulation 27 are given in Annexure-13)

Loan for the purchase of houses

28. The Bank may grant to an officer confirmed in the Bank's service, a loan for the purchase of land for construction of a house or for purchase or construction of a house, flat or apartment or for extension or renovation of a house, flat or apartment on such terms and conditions as the Board may decide generally or with reference to any particular loans having regard to the guidelines of the Government.

(विनियम 28 के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-14 में दिए गए हैं)

मनोरंजन व्यय और क्लब सदस्यता शुल्क

29. सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप अधिकारी को मनोरंजन व्यय और क्लबों और व्यावसायिक संस्थाओं की सदस्यता के शुल्क की प्रतिपूर्ति बैंक द्वारा की जा सकेगी।

(विनियम 29 के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-15 में दिए गए हैं)

जमाराशियों पर अधिमान्य ब्याज दर

30. किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम में अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त खाते में जमा की गई सावधि जमा, बचत और आवर्ती जमाराशियों पर बैंक द्वारा प्रचलित दर से एक प्रतिशत अधिक ब्याज दिया जा सकेगा।

अध्याय-VII

छुट्टी

छुट्टी के प्रकार

31. कार्य की अत्यावश्यकता के आधार पर स्वीकृति के अधीन कोई अधिकारी निम्न प्रकार की छुट्टियाँ लेने का पात्र होगा :-

(क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) साधिकार छुट्टी

(ग) बीमारी छुट्टी

(घ) अतिरिक्त बीमारी छुट्टी

(ङ) प्रसूति छुट्टी

(च) बिना वेतन की असाधारण छुट्टी

(छ) विशेष आकस्मिक छुट्टी और विशेष छुट्टी

आकस्मिक छुट्टी

32. (1) प्रत्येक अधिकारी वर्ष में 12 कार्य-दिवसों की पूर्ण परिलब्धियों सहित आकस्मिक छुट्टी लेने का पात्र होगा, परंतु किसी एक समय में चार दिनों से अधिक आकस्मिक छुट्टी का उपभोग नहीं किया जा सकेगा।

(The guidelines issued by the Government in terms of proviso to Regulation 28 are given in Annexure-14)

Entertainment expenses and Club member ship fee

29. The Bank may reimburse to an officer such entertainment expenses, and such fees for membership of clubs and professional institutions as may be decided by the Board in accordance with the guidelines of the Government.

(The guidelines issued by the Government in terms of proviso to Regulation 29 are given in Annexure-15)

Preferential Interest rates on deposits

30. The Bank may allow 1% additional rate of interest over its ruling rate of interest on Fixed Deposits, Saving Deposits and Recurring Deposits in the name of an officer, individually or jointly with any member of his family.

CHAPTER-VII

Leave

Kinds of Leave

31. Subject to the grant of leave being determined by the exigencies of service, an officer shall be eligible for the following kinds of leave :—

a) Casual Leave

b) Privilege Leave

c) Sick Leave

d) Special Sick Leave

e) Maternity Leave

f) Extraordinary Leave on loss of pay

g) Special Casual Leave and Special Leave

Casual Leave

32. (1) An officer shall be eligible for casual leave on full emoluments for 12 working days in a year provided that not more than four days casual leave may be availed of at any one time.

(2) किसी वर्ष में उपभोग न की गई आकस्मिक छुट्टी अनुवर्ती वर्ष में बीमारी छुट्टी के साथ, पूर्व या बाद में जोड़कर ली जा सकती है।

साधिकार छुट्टी

33. (1) कार्यरत अवधि में सेवा को प्रति 11 दिनों के लिए एक दिन की गणना के आधार पर कोई अधिकारी साधिकार छुट्टी लेने का पात्र होगा, परन्तु सेवाकाल के प्रारम्भ में सेवा के 11 महीनों की कार्य-अवधि पूर्ण होने तक कोई साधिकार छुट्टी नहीं ली जा सकेगी।

(2) साधिकार छुट्टी रहने पर किसी अधिकारी को छुट्टी की अवधि में पूर्ण परिलब्धियाँ देय होंगी।

(3) किसी अधिकारी के लिए साधिकार छुट्टी की किसी भी समय पात्रता उसके द्वारा उपभोग की गई छुट्टी की अवधि को अर्जित छुट्टी से घटाने पर शेष अवधि होगी।

(4) दिनांक 1.1.1990 को और उसके बाद से, छुट्टी का आवेदन अस्वीकृत किए जाने की स्थिति के अतिरिक्त साधिकार छुट्टी का संचयन 240 दिन से अनधिक तक किया जा सकता है।

(5) साधिकार छुट्टी लेने के ईच्छुक कोई अधिकारी आम तौर से कम से कम एक मास पहले अपने इस इरादे की सूचना देगा।

बीमारी छुट्टी

34. (1) दिनांक 1.1.1989 को और उसके बाद से, कोई अधिकारी अपने संपूर्ण सेवाकाल के दौरान अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 30 दिन के हिसाब से अधिक से अधिक 18 महीने की बीमारी-छुट्टी लेने का पात्र होगा। उसके संपूर्ण सेवाकाल में इस प्रकार 540 दिन की छुट्टी संचित की सकती है लेकिन यह छुट्टी बैंक को स्वीकार्य या बैंक द्वारा अपने खर्च पर अपने विवेक से नामित किसी चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके ही ली जा सकती है।

(2) बीमारी छुट्टी की अवधि में किसी अधिकारी को उसकी पूर्ण परिलब्धियों का आधा भाग प्राप्त करने की पात्रता होगी; परंतु अधिकारी की इच्छा पर बैंक बीमारी की किसी स्वीकृत अवधि के लिए पूर्ण परिलब्धियां प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है और इस हालत में इस अवधि से दुगुनी अवधि को उसकी बीमारी छुट्टी खाते में नामे डाल सकता है।

(2) Casual leave not availed of in any year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following year.

Privilege leave

33. (1) An officer shall be eligible for privilege leave computed at one day for every 11 days of service on duty provided that at the commencement of service no privilege leave may be availed of before completion of 11 months of service on duty.

(2) An officer on privilege leave shall be entitled to full emoluments for the period of leave.

(3) The period of privilege leave to which an officer is entitled at any time shall be the period which he has earned, less the period of leave availed of.

(4) On and from 1.1.1990, privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused.

(5) An officer desiring to avail of privelege leave shall ordinarily give not less than one month's notice of his intention to avail of such leave.

Sick leave

34. (1) On and from 1.1.1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost.

(2) In respect of the period of sick leave an officer shall be eligible to receive one half of the full emoluments. Provided that if an officer so desires, the Bank may permit him to draw full emoluments in respect of any portion of the sick leave granted to him twice the amount of such period on full emoluments being debited against sick leave account.

(3) बैंक यह अपेक्षा कर सकता है कि बीमारी छुट्टी के बाद कार्य पर आने वाला अधिकारी डाक्टर का यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे कि उसका स्वास्थ्य काम करने के लिए ठीक है।

अतिरिक्त बीमारी छुट्टी 35. दिनांक 1.1.1989 को और उसके बाद से, जिस अधिकारी ने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, वह 24 वर्ष से अधिक की प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए एक महीने के हिसाब से बीमारी की अतिरिक्त छुट्टी पाने का पात्र होगा, लेकिन बीमारी की यह अतिरिक्त छुट्टी अधिक से अधिक तीन महीने की होगी।

प्रसूति छुट्टी 36. प्रसवोत्तर काल सहित प्रसूति छुट्टी के रूप में या अकाल प्रसव की स्थिति में या गर्भपात होने पर अधिकतम 3 मास तक का सतत अवकाश प्रदान किया जा सकता है; परन्तु अपने संपूर्ण सेवा-काल में किसी अधिकारी को ऐसी छुट्टी 12 मास से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

असाधारण छुट्टी 37. कोई अधिकारी अपने संपूर्ण सेवा काल में अधिकतम 360 दिन की वेतनरहित असाधारण छुट्टी प्राप्त करने का पात्र होगा। पर्याप्त कारणों के अभाव मे ऐसी छुट्टी नहीं ली जा सकती और एक समय में अधिकतम 90 दिन तक की ही असाधारण छुट्टी ली जा सकती है;

परंतु अत्यधिक विशिष्ट परिस्थितियों में बोर्ड किसी अधिकारी को कुल 720 दिन तक की असाधारण छुट्टी, बिना वेतन के मंजूर कर सकता है।

37. (क) बोर्ड, सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किसी भी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश और कोई विशेष अवकाश स्वीकृत कर सकता है।

छुट्टी का कालातीत होना 38. किसी अधिकारी की मृत्यु अथवा बैंक में उसकी सेवा-समाप्ति पर सभी प्रकार की छुट्टी कालातीत हो जाएगी, परन्तु अधिकारी की सेवा-काल में मृत्यु होने पर उसके कानूनी प्रतिनिधि को वह राशि देय होगी जो मृत्यु के समय तक संचित साधिकार छुट्टी का उपभोग करने पर अधिकारी को देय होती;

(3) The Bank may require any officer desiring to resume duty on the expiry of sick leave, to produce medical certificate saying that he is fit for duty.

Additional sick leave 35. On and from 1.1.1989, where an officer has put in a service of 24 years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

Maternity leave 36. Leave upto a period of 3 months at a time may be granted by way of maternity leave including in respect of post-natal period or at the time of miscarriage or abortion, so however, that no more than 12 months of such leave shall be available during the entire period of service of the officer.

Extraordinary leave 37. An officer shall be eligible for extraordianry leave on loss of pay for not more than 360 days during the entire period of service. Such leave may not be availed of except for sufficient reasons on more than 90 days at a time.

Provided that in very special circumstances, the Board may grant extraordianry leave on loss of pay to an officer upto a total period of 720 days.

37. (a) An officer may be granted special casual leave and any Special leave as may be decided by the Board is accordance with the guidelines of the Govt.

Lapse of leave 38. All leave shall lapse on the death of the officer or if he ceases to be in the service of the Bank, provided that where an officer dies in service, there shall be payable to his legal representative sums which would have been payable to the officer, if he has availed of his privilege leave, that he had accumulated at the time of his death.

परंतु यह और कि यदि कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो जितनी साधिकार छुट्टी उसने संचित की है उसके बराबर परिलब्धियाँ प्राप्त करने का वह पात्र होगा।

कार्य पर वापस बुलाना

39. छुट्टी पर गए किसी भी अधिकारी को, जब भी बैंक उचित समझे, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पर वापस बुलाया जा सकता है; परन्तु उस समय यदि उक्त अधिकारी किसी अन्य स्थान पर गया हुआ हो, तो वह अपना और अपने परिवार के सदस्यों का पदस्थापन स्थान तक पहुंचने का और यदि वह और उसके परिवार के सदस्य पुनः उस स्थान पर वापस जाएं जहां से उसे बुलाया गया था, तो वापसी यात्रा का भी वास्तविक व्यय प्राप्त करने का पात्र होगा।

बैंक को छुट्टी कालीन पते की सूचना

40. उस अधिकारी को जिसे छुट्टी मंजूर की गई हो, अपने कार्य-स्थान से बाहर जाने पर उस स्थान का पता बैंक को देना होगा जिस पर उसके साथ संपर्क किया जा सके।

अध्याय-VIII

यात्रा-व्यय की प्रतिपूर्ति

यात्रा का साधन और यात्रा व्यय

41. जब किसी अधिकारी से डयूटी पर यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो उस पर निदेशक मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे-

(1) (i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान में यात्रा कर सकता है।

किंतु कारोबार की आवश्यकताओं या लोकहित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह विमान द्वारा (इकॉनमी श्रेणी में) यात्रा कर सकता है।

(ii) मध्य प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी रेल की प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित शयनयान में यात्रा कर सकता है। किन्तु यदि यात्रा की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है तो वह विमान द्वारा (इकॉनमी श्रेणी में) यात्रा कर सकता है। परंतु कारबार की आवश्यकता या लोकहित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम

Provided further that where an officer retires from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period of privilege leave that he had accumulated.

Recall for duty

39. An officer on leave may be recalled to duty by the competent authority whenever the Bank deems fit to do so, but if the officer is at that time out of station, he shall be eligible to be paid the actual expenses incurred by him and the members of his family for coming back to the station and if the officer and the members of his family go back to the same station from which he was called, for the return journey also.

Furnishing the leave address to the Bank

40. An officer, who has been sanctioned leave and leaves his place of duty shall furnish to the Bank, the address at which he can be contacted while out of station.

CHAPTER-VIII

Reimbursement of Expenses on Travel

Mode of travel and expenses on travel

41. On and from the date specified by the Board the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—

(1) (i) An Officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train.

He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middele Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 Kms. He may, however, travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted

प्राधिकारी की अनुमति से वह इससे कम दूरी की यात्रा भी विमान द्वारा (इकॉनमी श्रेणी में) कर सकता है।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में या विमान द्वारा (इकॉनमी श्रेणी में) यात्रा कर सकता है।

(iv) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी, ऐसे स्थानों के बीच जो विमान सेवा या रेल सेवा से जुड़े हुए नहीं है, कार द्वारा यात्रा कर सकता है बशर्ते यात्रा की यह दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो। किंतु यदि उक्त दोनों स्थानों के बीच की अधिकांश दूरी विमान या रेल द्वारा तय की जा सकती हो तो सामान्यतः केवल शेष दूरी कार द्वारा तय की जानी चाहिए।

(v) कार्य की अत्यावश्यकता होने पर किसी अन्य अधिकारी को उसके निजी वाहन अथवा टैक्सी अथवा बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी प्राधिकृत कर सकता है।

2. (i) रेल अथवा वायुयान द्वारा यात्रा के लिए केवल अधिकारी के व्यक्तिगत किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) सड़क मार्ग से निजी वाहन द्वारा यात्रा करने पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई प्रति कि.मी. की दर से व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो प्रयोग किए गए वाहन के प्रकार, उपगत होनेवाले व्यय और तय की गई दूरी के अनुरूप होगी।

(iii) जहां टैक्सी किराए पर लेने की अनुमति हो, वहां टैक्सी के वास्तविक प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iv) सार्वजनिक वाहन या जल परिवहन से यात्रा करने पर वास्तविक किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(3) परिवहन और कुली के लिए किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(4) 1.6.1995 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी स्तंभ 2 में वर्णित

by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by air (economy class).

(iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 Kms. However when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

(v) Any other officer may be authorised by the competent authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(2) (i) For air or rail travel a single fare for the officer will be reimbursed.

(ii) For travel by road by his own vehicle such rate on a kilometer basis as may be decided by the Bank from time to time having regard to the type of vehicle used, the cost to be incurred and the terrain covered, will be reimbursed.

(iii) Where hiring of a taxi is permitted, the actual taxi charges will be reimbursed.

(iv) For travel by public motor or water transport, the actual fare will be reimbursed.

(3) Actual expenses incurred for transport, and porterage will be reimbursed.

(4) On and from 1.6.1995 an officer in the Grades/ Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the

तदनुरूपी दरों से विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	दैनिक भत्ता (रुपये)		
	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1		2	
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	250.00	200.00	175.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	200.00	175.00	150.00

परंतु

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किंतु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

(ख) विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम (आइ टी डी सी) के होटलों में एकल आवास कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी :

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता	खान-पान खर्च (रुपये)		
		प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2	3	4	5
वेतनमान VI और VII	4* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान IV और V	3* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान II और III	2* होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00
वेतनमान I	1* होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00

(ग) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर परंतुक (ख) में निर्धारित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति बोर्ड निर्धारित कर सकता है।

corresponding rates set out in Column 2 thereof :

Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rupees)		
	Major 'A' Class Cities	Area I	Other Places
1		2	
Officers in Sclae IV and above	250.00	200.00	175.00
Officers in Scale I/II/III	200.00	175.00	150.00

Provided that

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

Grades/Scales of officers	Eligibility to stay	Boarding Charges (Rupees)		
		Major 'A' Class Cities	Area I	Other Places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale IV & V	3* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale II & III	2* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00
Scale I	1* Hotel (Non-AC)	200.00	175.00	150.00

(c) The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limite prescribed in proviso (b) above in accordance with the guidelines of the Government.

(घ) यदि आवास की व्यवस्था बैंक को लागत पर/बैंक द्वारा की गयी है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा।

(ङ) यदि भोजन को व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा निःशुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जाएगा।

(च) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गई है तो चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा। लेकिन, यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना, घोषणा के आधार पर आवास खर्च का दावा करता है तो उसे चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जाएगा।

(छ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिए रु. 10/- का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण

विराम भत्ते की संगणना के लिए 'प्रतिदिन' का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो 'प्रतिदिन' से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो।

(विनियम 41 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत अनुबंध-16 में दिए गए हैं)

स्थानांतरण/यात्रा भत्ता आदि

42. (1) (i) स्थानांतरण होने पर प्रत्येक अधिकारी, और उसके परिवार के सदस्य पदस्थापन स्थान तक उसी प्रकार के वाहन और उसकी श्रेणी में यात्रा करने के पात्र होंगे जिसमें अधिकारी की भ्रमण यात्रा हेतु पात्रता है।

(ii) यदि उसके परिवार के सदस्य सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो तय की गई दूरी के लिए वास्तविक किराए अथवा रेल

(d) Where lodging is provided at bank's cost/ arranged through the bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where boarding is provided at bank's cost/ arranged through the bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

(f) Where lodging and boarding are provided at bank's cost/arranged through the bank free of cost, 1/4th of the Halting Allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, then he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.

(g) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

(The Guidelines issued by Govt. in terms of proviso to Regulation 41 are given is Annexure 16)

Transfer, travelling allowance etc.

42. (1) (i) An officer on transfer and the members of his family will be eligible to travel to the place of posting by the same mode of travel and class of accommodation by the officer as in the case of travel on tour.

(ii) When the members of the family travel by road, the entitlement will be the actual or the 1st Class

की प्रथम श्रेणी के किराए में से जो भी कम हो, वह देय होगा।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के उद्देश्य से "परिवार" का आशय होगा पति/पत्नी और अधिकारी संवर्ग के कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित और उसके साथ रहनेवाले उसके बच्चे, माता-पिता और भाई-बहनें।

42. (2) (i) 1.7.1993 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :-

वेतन-सीमा	परिवार-सहित	परिवार-रहित
रु. 4,250/- से रु. 6,210/- प्रति माह	3,000 किलोग्राम	1,000 किलोग्राम
रु. 6,211/- प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2,000 किलेग्राम

(ii) दिनांक 1.1.87 को और उसके बाद से, पूरे वैगन के लिए पात्र कोई अधिकारी यदि रेलवे की "कन्टेनर सेवा" की सुविधा का उपभोग करता है तों यदि वह कनिष्ठ या मध्य ग्रेड में है तो एक कन्टेनर और वरिष्ठ या उच्च प्रबन्ध ग्रेड में है तो दो कन्टेनर के वास्तविक प्रभार की प्रतिपूर्ति उसे की जाएगी। यदि रेल से जुड़े स्थानों के बीच सामान का परिवहन सड़क द्वारा किया जाता है तो बिल प्रस्तुत करने पर वास्तविक माल भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो मालगाड़ी द्वारा परिवहन के लिए अनुज्ञेय अधिकतम माल के परिवहन प्रभार से अधिक नहीं होगा। यदि पदस्थापन के पुराने या नए स्थान पर कोई रेलवे स्टेशन या रेलवे आउट एजेन्सी न हो तो अधिकारी को नजदीकी रेलवे स्टेशन या रेलवे आउट एजेन्सी तक सड़क द्वारा सामान का परिवहन करने के वास्तविक खर्च का भुगतान किया जाएगा। यदि दोनों स्थानों पर रेलव स्टेशन/आउट एजेन्सी न हो तो अधिकारी को किसी अनुमोदित परिवहन परिचालक द्वारा निर्धारित वजन तक सड़क द्वारा सामान का परिवहन करने के वास्तविक खर्च का भुगतान किया जाएगा।

rail fare for the distance covered, whichever is less.

Explanation :

"Family" for the purpose of this regulation will be limited to the spouse as also children, parents, brothers and sisters residing with and wholly dependent on the officer employee.

(2) (i) On and from 1.7.1993 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/- p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 6211/- p.m. and above	Full Wagon	2000 kgs.

(ii) On and from 1.1.87, if an officer eligible for full wagon avails of the facility of 'Container Service' by railways, he will be reimbursed actual charges for one container if he is in Junior or Middle Management Grade and for two containers if he is in Senior or Top Management Grade. If the baggage is transported by road between places connected by rail, the reimbursement will be limited to the actual freight charges against submission of bills subject to the cost not exceeding the cost of transport of the maximum permissible quantity by goods train. If there is no railway station or railway out-agency at the old or new place of posting, the officer will be paid the actual cost of transporting the baggage by road up to the nearest railway station/out-agency. If both the places do not have railway station/out-agency the officer will be paid actual cost of transporting the baggage by road upto the stipulated weights by an approved transport operator.

(iii) निजी कार रखनेवाला अधिकारी स्थानांतरण के स्थान तक मालगाड़ी की दर पर रेल द्वारा उसके परिवहन के व्यय और बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर कार को सड़क मार्ग से ले जाने के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करने का पात्र होगा।

(iv) निजी स्कूटर, मोटर साइकिल या अन्य कोई वाहन रखनेवाला अधिकारी स्थानांतरण के स्थान तक उसकी मालगाड़ी द्वारा परिवहन के व्यय का और वाहन को लारी द्वारा ले जाने पर वास्तविक लारी प्रभार का दावा करने का पात्र होगा। वाहन सड़क मार्ग से चला कर ले जाने पर अधिकारी उसके व्यय का बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से दावा करने का पात्र होगा।

(3) दिनांक 1.1.87 को और उसके बाद से, किसी अधिकारी का स्थानान्तरण होने पर वह पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान के बीमाकरण आदि से जुड़े खर्च के लिए नीचे लिखी एकमुश्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा :

श्रेणी	एकमुश्त राशि
उच्च प्रबन्धन और वरिष्ठ प्रबन्धन	1500 रु.
मध्य प्रबन्धन और कनिष्ठ प्रबन्धन	1000 रु.

(4) यदि अधिकारी का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर किया जाता है तो यात्रा के समय के लिए वह ऐसी दर से विराम भत्ते का दावा करने का पात्र होगा मानो वह दौरे पर हो।

परंतु 30.10.87 को और उसके बाद से पदस्थापन के नए स्थान पर अधिकारी के लिए बैंक द्वारा आवास की व्यवस्था न किए जाने की स्थिति में और जहां अपना कार्यभार संभालने में अधिकारी को ऐसे कारण से अतिरिक्त व्यय उठाना पड़े जो उसके नियंत्रण से परे हो, तो सक्षम प्राधिकारी मामले के गुणदोष पर विचार करते हुए अधिकतम 15 दिनों तक या जब तक उसे क्वार्टर उपलब्ध न करा दिया जाए, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक विराम भत्ते की स्वीकृति देने पर विचार कर सकता है।

सेवा निवृत्ति पर यात्रा-भत्ता

43. सेवा निवृत्ति पर किसी अधिकारी को अपने पदस्थापन के अंतिम स्थान से सेवा-निवृत्ति के पश्चात् जहां वह बसना

(iii) An officer who owns a car will be eligible to claim the cost of transporting it by train to the place of transfer, at goods train rate, and where the car is driven by road, the cost of so taking it, at the rates decided by the Board.

(iv) An officer who owns a scooter, motor cycle or any other vehicle, will be eligible to claim the cost of transporting it to the place of transfer at goods train rate; and if the vehicle is transported by lorry, the actual lorry charges. If the vehicle is driven by road, the officer will be eligible to claim at the rates decided by the Board.

(3) On and from 1.1.87, an officer on transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local trasportation, insuring the baggage, etc.

Grade	Lump sum
Top Management and Senior Management	Rs. 1500/-
Middle Management and Junior Management	Rs. 1000/-

(4) An officer transferred to any station shall be eligible to claim halting allowances for the period spent on journey at the same rates as in the case of travel on tour.

Provided that on and with effect from 30.10.87 where no Residential Accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons beyond his control, the Competent Authority may consider, on merit, grant of Halting Allowance to him upto a maximum period of 15 days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier.

Travelling allowance on retirement

43. On Retirement, an officer will be eligible to claim travelling allowance, baggage and other expenses

चाहता हो, उस स्थान तक के अपने और अपने परिवार के लिए यात्रा भत्ता, सामान के परिवहन व्यय और अन्य व्यय का दावा करने की उसी प्रकार पात्रता होगी जैसा उसे स्थानांतरण पर होता।

छुट्टी यात्रा सुविधा

44. (i) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लाक में कोई अधिकारी अपने अधिवास तक की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा सुविधा का लाभ प्रति द्विवार्षिक ब्लाक में एक बार प्राप्त करने का पात्र होगा। विकल्प के रूप में वह एक द्विवार्षिक ब्लाक में अपने अधिवास और दूसरे द्विवार्षिक ब्लाक में भारत में किसी एक स्थान तक की यात्रा निकटतम मार्ग से कर सकता है।

(ii) दिनांक 1.6.1991 को और उसके बाद से प्रत्येक चार वर्ष में एक बार जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा सुविधा का उपभोग करता है तब उसे एक बार में एक महीने से अनधिक की साधिकार छुट्टी का अभ्यर्पण करने एवं उसका नकदीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। विकल्पतः उसे दो वर्ष के एक ब्लाक में स्वनगर और दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी स्थान की यात्रा करते समय प्रत्येक ब्लॉक में अधिकतम 15 दिन या एक ब्लॉक में 30 दिन की साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की अनुमति दी जा सकती है। छुट्टी के नकदीकरण के प्रयोजनार्थ जिस महीने में छुट्टी यात्रा सुविधा का लाभ उठाना प्रारंभ किया जाता है उस महीने में देय सभी परिलब्धियां स्वीकार्य होंगी।

परंतु यह कि किसी अधिकारी को स्वेच्छा से प्रधान मंत्री सहायता कोष में चंदा देने के लिए एक दिन की अतिरिक्त साधिकार छुट्टी का नकदीकरण करने की अनुमति होगी पर इसके लिए उसे बैंक को इस आशय का पत्र देना होगा और बैंक को उक्त कोष में राशि प्रेषित करने के लिए प्राधिकृत करना होगा।

(iii) छुट्टी यात्रा सुविधा के अधीन कोई अधिकारी उसी साधन व श्रेणी द्वारा यात्रा कर सकेगा जिसमें वह स्थानांतरण होने पर यात्रा करने का पात्र है और छुट्टी यात्रा सुविधा के अन्य निबंधन एवं शर्तें समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

for himself and his family as on transfer from the last station at which he is posted to the place where he proposes to settle down on retirement.

Leave Travel Concession

44. (i) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years. Alternatively he may travel in one block of two years to his home town and in the other block to any place in India by the shortest route.

(ii) On and from 1.6.1991 once in every 4 years when an officer avails of Leave Travel Concession he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding one month at a time. Alternatively, he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege leave with a maximum of 15 days in each block or 30 days in one block. For the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the availment of the Leave Travel Concession commences shall be admissible.

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorising the Bank to remit the amount to the Fund.

(iii) The mode and class by which an officer may avail of leave travel concession shall be the same as in the case of travel on transfer, and other terms and conditions subject to which the leave travel concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time to time.

अध्याय-IX

सेवा-समाप्ति पर लाभ

भविष्य निधि और पेंशन

45. (1) प्रत्येक अधिकारी, यदि वह पहले ही भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो बैंक द्वारा गठित भविष्य निधि का सदस्य बनेगा तथा वह ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत होगा।

(2) भविष्य निधि नियमों में यह व्यवस्था है कि 1.11.1993 को और उससे बाद से-

(क) पेंशन योजना द्वारा शासित अधिकारी के मामले में केवल अधिकारी द्वारा वेतन के 10% की दर से भविष्य निधि में अंशदान, बैंक की ओर से किसी समतुल्य अंशदान के बिना, किया जाएगा।

परंतु 1.7.1993 से 31.10.1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(ख) पेंशन योजना द्वारा शासित न होने वाले अधिकारी के मामले में, अधिकारी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान और बैंक द्वारा समतुल्य अंशदान वेतन 10% की दर से किया जाएगा।

परंतु 1.7.1993 से 31.10.1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा।

(3) 29.9.1995 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे।

तथापि, निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं होंगे :

(क) जो अधिकारी 29.9.1995 के पूर्व बैंक की सेवा में था, बशर्ते कि उसने पेंशन योजना के संबंध में बैंक की नोटिस के जवाब में पेंशन योजना का सदस्य होने का विकल्प विशेष रूप से चुन लिया हो।

CHAPTER-IX

Terminal Benefits

Provident Fund and Pension

45. (1) Every officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the Bank, unless he is already a member of that Fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

(2) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 1.11.1993–

(a) in case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the bank.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1.7.1993 to 31.10.1993 shall be made.

(b) in case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the bank shall be made at the rate of 10% of pay.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1.7.1993 to 31.10.1993 shall be made.

(3) Officers joining the bank's service on or after 29.9.1995 shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme.

a) an officer who was in service of the bank prior to 29.9.1995, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to bank's notice to that effect.

(ख) जो अधिकारी 29.9.1995 को या उसके बाद 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु में भर्ती हुआ है, और जिसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का अपना अधिकार छोड़ देना चुना है।

टिप्पणी : भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु 'वेतन' का अर्थ है मूल वेतन, जिसमें अवरोध वेतनवृद्धियां, स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक अर्हता भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक शामिल है।

उपदान

46. **उपदान :**

(1) प्रत्येक अधिकारी, निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :-

क) सेवा-निवृत्ति पर;

ख) मृत्यु पर;

ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है;

घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग-पत्र देने पर; या

ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्डस्वरूप सेवा-समाप्ति को छोड़कर अन्य किसी कारण से सेवा-समाप्ति पर।

(2) अधिकारी को देय उपदान की राशि प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है।

परंतु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन के दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

परंतु जिस अधिकारी की सेवा 1.7.1993 से 31.10.1994 के दौरान समाप्त हो गयी है उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य विनियम 4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित के अनुसार वेतनमान से है।

b) an officer who is recruited on or after 29.9.1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note : 'Pay' for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay including stagnation Increments, Officiating Allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance.

Gratuity

46. 1) Every officer, shall be eligible for gratuity on :—

a) retirement

b) death

c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank;

d) resignation after completing ten years of continuous service; or

e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

2) The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 1.7.1993 to 31.10.1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

(ख) जो अधिकारी 29.9.1995 को या उसके बाद 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु में भर्ती हुआ है, और जिसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का अपना अधिकार छोड़ देना चुना है।

टिप्पणी : भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु 'वेतन' का अर्थ है मूल वेतन, जिसमें अवरोध वेतनवृद्धियां, स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक अर्हता भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतनवृद्धि घटक शामिल है।

उपदान

46. **उपदान :**

(1) प्रत्येक अधिकारी, निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :-

क) सेवा-निवृत्ति पर;

ख) मृत्यु पर;

ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है;

घ) दस वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद त्याग-पत्र देने पर; या

ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्डस्वरूप सेवा-समाप्ति को छोड़कर अन्य किसी कारण से सेवा-समाप्ति पर।

(2) अधिकारी को देय उपदान की राशि प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है।

परंतु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन के दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

परंतु जिस अधिकारी की सेवा 1.7.1993 से 31.10.1994 के दौरान समाप्त हो गयी है उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य विनियम 4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित के अनुसार वेतनमान से है।

b) an officer who is recruited on or after 29.9.1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension in terms of the Pension Scheme.

Note : 'Pay' for the purpose of Provident Fund shall mean basic pay including stagnation Increments, Officiating Allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance.

Gratuity

46. 1) Every officer, shall be eligible for gratuity on :—

a) retirement

b) death

c) disablement rendering him unfit for further service as certified by a medical officer approved by the Bank;

d) resignation after completing ten years of continuous service; or

e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

2) The amount of gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 1.7.1993 to 31.10.1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

टिप्पणी : यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छह महीने या उससे अधिक की कोई अवधि बचती है तो उस अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर उपदान दिया जाएगा।

अध्याय-X

स्थानांतरणीयता

स्थानांतरणीयता 47. प्रत्येक अधिकारी बैंक के किसी कार्यालय या शाखा में या भारत के किसी स्थान पर स्थानांतरण के लिए दायी होगा।

बैंक-कार्य के लिए उपलब्धता 48. प्रत्येक अधिकारी को बैंक-कार्य के लिए दिन में हर समय उपलब्ध रहना होगा।

स्थानांतरण पर कार्यग्रहण अवधि 49. (i) किसी अधिकारी को यात्रा अवधि के अतिरिक्त एक अवसर पर, सात दिन तक कार्य-ग्रहण अवधि का उपभोग करने की पात्रता होगी जिससे कि वह :-

(क) अपने पूर्व पद पर कार्य करते हुए उस नए पद पर, जिस पर उसकी नियुक्ति की गई हो, कार्यग्रहण कर सके; अथवा

(ख) छुट्टी से लौटने पर नए पद पर कार्यग्रहण कर सके।

(ii) कार्य-ग्रहण अवधि में अधिकारी को स्थानांतरण के स्थान पर लागू परिलब्धियां प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(iii) किसी अधिकारी को स्वीकार्य कार्यग्रहण अवधि की संगणना करते समय, पुराने पद से कार्य-मुक्ति का दिन और उस दिन को अनुवर्ती सार्वजनिक छुट्टियों के दिन सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

(iv) स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य स्थान पर अधिकारी की तैनाती न होने पर उसे कार्यग्रहण अवधि स्वीकार्य नहीं होगी।

(v) अधिकारी की तैनाती अस्थायी प्रवृत्ति की होने पर उसे कार्यग्रहण अवधि स्वीकार्य नहीं होगी चाहे उसकी तैनाती स्थायी नियुक्ति के स्थान से किसी अन्य स्थान पर ही क्यों न की गई हो।

Note : If the fraction of service beyond completed years of service is 6 months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

CHAPTER-X

Transferability

Transferability 47. Every officer is liable for transfer to any office or branch of the Bank or to any place in India.

Availability on banks duty 48. Every officer shall be available for Bank's duties at any time of the day.

Joining time on transfer 49. i) An officer shall be eligible for joining time on one occasion, and not exceeding seven days, exclusive of the number of days spent on travel, to enable him :—

(a) to join a new post to which he is appointed while on duty in his old post; or

(b) to join a new post on return from leave.

ii) During the joining time an officer shall be eligible to draw the emoluments as applicable to the place of transfer.

iii) In calculating the joining time admissible to an officer, the day on which he is relieved from his old post shall be excluded, but public holidays following the day of his relief shall not be included in computing the joining time.

iv) No joining time will be admissible to an officer when the transfer does not involve a posting to a different place.

v) No joining time will be admissible to an officer when his posting is of temporary nature, irrespective of the fact that the posting is to a place or station other than the one at which he is permanently posted.

अध्याय-XI

विविध

विनियमों को लागू करने की शक्ति — 50. इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने अथवा कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक किन्हीं निर्देशों व अनुदेशों को प्रबंध निदेशक समय-समय पर स्वविवेक से जारी कर सकता है।

सरकारी निर्णय ही बोर्ड का प्रारंभिक निर्णय — 51. इन विनियमों के किसी विषय के बोर्ड के निर्णय के अनुरूप होने की आवश्यकता होने पर और ऐसा विषय सरकार के संकल्प सं. एफ 4 (26)/72 आइ आर दिनांक 19 जुलाई 1973 द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के, जिन्हें सरकार ने अपने द्वारा किए गए या किए जानेवाले संशोधनों एवं परिवर्तनों सहित स्वीकार किया हो, अधीन होने पर पूर्वोक्त सिफारिशों को ही तब तक मंडल का निर्णय माना जाएगा जब तक उनमें परिवर्तन न किया जाए।

सेवा का निर्वचन — 52. इनमें से किसी भी विनियम के निर्वचन में अधिकारी की सेवा से तब तक वर्तमान बैंक में उसकी सेवा और इन विनियमों के लागू होने से पूर्व बैंक में उसकी सेवा मानी जाएगी जब तक कि प्रसंगवश किसी अन्य निर्वचन की अपेक्षा न हो।

पूर्व नियमों आदि का प्रतिसंहरण — 53. भत्ते, अनुलाभ और सुविधाएं सहित इन विनियमों में वर्णित किसी मामले को शासित करने वाला कोई नियम, विनियम, आदेश, करार, संकल्प या अन्य लिखत या कोई प्रचलन, प्रथा, परंपरा या पद्धति, इन विनिमयों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विनियम प्रवृत्त होने की तारीख से ऐसे मामले में प्रभावी नहीं होगा;

परंतु ऐसे करार, नियम, विनियम, संकल्प, अन्य उपबंध या प्रचलन, प्रथा, परंपरा या पद्धति के अनुसरण में उस तारीख के पूर्व किए गए किसी कार्य या उत्पन्न किसी दावे की वैधता को ये प्रभावित नहीं करेंगे।

निर्वचन — 54. इन विनियमों में से किसी को लागू करने या उसके निर्वचन का कोई प्रश्न उठ खड़ा होने पर उसे मंडल के पास, उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

CHAPTER-XI

MISCELLANEOUS

Power to implement regulations — 50. The Managing Director may, from time to time, issue such instructions or directions as may, in his opinion, be necessary for giving effect to or carrying out the provisions of these regulations.

Government's decision to be construed as initial decision of the board — 51. Wherever these regulations require that any matter shall be in accordance with the decision of the Board and where such a matter is covered by the recommendations made in the Report of the Committee constituted by Government's Resolution No. F. 4(26)/72/IR dated 19th July, 1973, as accepted by the Government, together with modifications or alterations thereof as may, from time to time, have been or be made by the Government, such recommendations shall, until varied be deemed to be decisions of the Board.

Interpretation of "Service" — 52. In interpreting any of these regulations, unless the context otherwise requires, service of an officer, shall be regarded as including his service in the existing bank and also his service in the Bank prior to the date of coming into force of these regulations.

Revocation of earlier rules, etc. — 53. Any rule, regulation, order, agreement, resolution or other instrument, or any usage, custom, convention or practice, governing any matter dealt with in any of these regulations including allowances, perquisites and facilities, shall, on the date when such regulation comes into force and unless the contrary is provided in these regulations, shall cease to have effect in regard to such matter;

Provided that these shall not affect the validity of anything done or any claim arising, prior to that date in pursuance of such agreement, rule, regulation, resolution, other provision or usage, custom, convention or practice.

Interpretation — 54. If any question arises as to the application or interpretation of any of these regulations, it shall be referred to the Board for its decision.

अनुबंध - 1

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 4(1) के परंतुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं :-

1. प्रत्येक अधिकारी जो 31.10.1992 की तारीख में लागू वेतनमान द्वारा नियंत्रित होते हैं वे 1.7.1993 की स्थिति के अनुसार विनियम 4(2) में निर्धारित वेतनमान में स्टेज के समानांतर निर्धारित किए जाएंगे यानि प्रथम स्टेज या उससे ऊपर उसके समतुल्य स्टेज में तथा वेतनवृद्धि, केवल उस स्थिति को छोड़ कर जहां अन्यथा प्रावधान किया गया है, वार्षिकी की तारीख में पूर्ववत प्रदत्त होगी।

2. खासकर वेतनमान–III के अधिकारी यानि जो वेतनमान III में नियुक्त किए गए हैं या पदोन्नत हुए हैं वे अधिकारी तथा जो प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त कर चुके हैं उन्हें 1.11.1994 के प्रभाव से द्वितीय गतिरोध वेतनवृद्धि दी जाएगी या प्रथम गतिरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के तीन साल बाद, जो भी बाद में हो, दी जाएगी।

अनुबंध-2

निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम अधिनियम 1979 के विनियम 5 के प्रावधान के अनुसार सरकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं।

सम्बन्धित वेतनमान में अधिकतम सीमा पर पहुंचने के बाद दूसरे वेतनमान में उच्चतर स्टेज में वेतनमान-I एवं वेतनमान-II में अधिकारियों के स्थानांतरण उनकी दक्षता अवरोध पार करने के बाद ही किए जाएंगे जो केवल निम्नलिखित मामलों में लागू होंगे :–

i) जहां कोई कर्मचारी निलम्बन अवधि में हो ;

ii) जहां किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ की गई है;

iii) जहां कोई अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने अधिकारी कर्मचारी की दक्षता अवरोध की देय तारीख के बाद वाले रिपोर्टिंग वर्ष में विपरीत टिप्पणी की हो तथा उसकी सूचना अधिकारी कर्मचारी को दी जा चुकी हो।

टिप्पणी :

(क) जहां दक्षताअवरोध उपर्युक्त मद (II) के अनुसार परिचालन में है, तो उस सम्बन्धित अधिकारी कर्मचारी का मामला दक्षता अवरोध पार करने के बारे में दूसरी देय तिथि के पूर्व ही प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षित किया जाएगा। इस प्रावधान के अधीन दक्षता अवरोध

ANNEXURE - 1

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 4(1) of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

(1) Every Officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31.10.1992 shall be fitted in the scale of pay set out in Regulation 4(2) as on 1.7.1993 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(2) Officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited or promoted to Scale III and who are in receipt of first stagnation increment shall be given second stagnation increment w.e.f. 1.11.1994, or three years after having received the first stagnation increment, whichever is later.

ANNEXURE - 2

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 5 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations 1979.

The movement of officers in Scale-I and Scale-II to the higher stages in the next scale after reaching the maximum in their respective scales shall be subject to their crossing the Efficiency Bar which shall apply only in the following cases :—

i) Where an officer employee is under suspension;

ii) Where a disciplinary action has been initiated against an officer employee;

iii) Where an officer employee has earned an adverse remark from the Reporting Authority in the Reporting Year preceding the date on which the officer employee is due to cross the Efficiency Bar and the same has been conveyed to the officer employee.

NOTE :

(a) Where the Efficiency Bar operates in terms of (ii) above, the case of the concerned officer employee shall be reviewed every year well

पार करने में तीन वर्ष में तीन वर्ष से अधिक का विलम्ब नहीं होना चाहिए जिसके बाद भी अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त नहीं होती है तो वेतन वृद्धि पूर्वगामी प्रभाव से मुक्त की जाएगी।

(ख) जहां उपर्युक्त मद (III) के अनुसार दक्षता अवरोध के लिए आवेदन किया गया है लेकिन बाद में उसकी रेटिंग में सुधार हो जाता है तो वेतन वृद्धि एक वर्ष के बाद ही मुक्त कर दी जाएगी इस उद्देश्य के लिए औसत टिप्पणी या रेटिंग को विपरीत नहीं मानी जाएगी।

अनुबंध - 3

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 6 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मागदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं :-

1) नियत तिथि को वर्तमान पदों का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रख कर किया जाएगा :

i) महाप्रबन्धक, संयुक्त महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक आदि जो प्रबन्ध निदेशक के अधीन आते हैं, उच्च कार्यपालक श्रेणी में आएंगे। इस वर्गीकरण का मुख्य मानदण्ड पूरे बैंक के नीति-निर्धारण, समीक्षा और नियंत्रण के मामलों में उनका योगदान होगा।

ii) वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी में सहायक महाप्रबंधक तथा प्रधान कार्यालय के कार्यात्मक विभागों के प्रमुख आएंगे जो नीति-निर्धारण तथा प्रधान कार्यालय के कार्य क्षेत्र में परिचालनात्मक या सलाहकारी उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। एक बहुत बड़े भूभाग में फैली बैंक की अनेक शाखाओं का पर्यवेक्षण करने वाले तथा पूर्ण कार्यमूलक दायित्व निभाने वाले अधिकारी, अत्यधिक बड़ी, महानगरीय और काफी बड़ी शाखाओं के प्रबन्धक और प्रशिक्षण कार्य के लिए जिम्मेदार प्रधान अधिकारी भी इसी स्तर के होंगे।

iii) मध्य प्रबन्धन श्रेणी में बड़ी और मध्यम शाखाओं के प्रबंधक आएंगे। बड़ी शाखाओं तथा क्षेत्र/मंडल/जिले में कार्यरत द्वितीय स्तर के अधिकारी भी इसी श्रेणी में आएंगे।

iv) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी में अन्य सभी अधिकारी आएंगे। इसमें छोटी शाखाओं और वेतन कार्यालयों के प्रबंधक तथा छोटी और मध्यम शाखाओं और अन्य कार्यालयों के लेखाकार एवं द्वितीय पंक्ति के अधिकारी शामिल होंगे।

before the next due date for crossing the Efficiency Bar. The delay in crossing the Efficiency Bar under this provision shall not be more than three years after which if the disciplinary proceedings are still not concluded, the increments shall be released with retrospective effect.

(b) Where the Efficiency Bar has been applied in terms of (iii) above, but the rating improves subsequently, the increment shall be released after one year. Average remark or rating shall not be treated as adverse for this purpose.

ANNEXURE - 3

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 6 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

1) The categorisation of posts in existence on the appointed date shall be done keeping the following criteria in mind :

i) The top executive grade would normally include all executives under the Managing Director such as General Managers, Joint General Managers, Deputy General Managers, etc. The main criterion for this categorisation will be their share in the policy making, Review and Control functions of the Bank as a whole.

ii) The Senior Management Grade would include Assistant General Managers and heads of functional departments in the Head Office exercising either operational or advisory responsibilities in both policy making and area reserved for Head Office functions. Officers having full functional responsibilities for certain large geographical areas with supervision over sizeable portion of the Branches of the Bank, Managers of exceptionally large Metropolitan Branches and very large branches and the principal officer responsible for training will also be at this level.

iii) The Middle Management Grade would include Managers of large and medium size branches. Second line officers in large branches as well as Region/Area/Division/District and like officers will also fall in this category.

iv) The Junior Management Grade would comprise all other officers. It would include Managers of small branches and pay offices, Accountants or second line officers in small and medium branches and other offices.

v) अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद, विधि अधिकारी जैसे विशेषज्ञों के मामले में उनकी श्रेणी सम्बन्धित कार्य में उनके अनुभव, निपुणता तथा प्रतिष्ठा के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी क्योंकि इनकी भूमिका अलग-अलग बैंक में भिन्न होती है।

vi) प्रत्येक श्रेणी और वेतनमान के (विशेषज्ञों सहित) पदों का नियत तिथि को वर्गीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि नये वेतनमान में किसी अधिकारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग नियत तिथि से ठीक पूर्व उस अधिकारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग के बीच यथोचित सम्बन्ध हो।

vii) वित्तीय वर्ष 1995 से लागू प्रबंधकों के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए शाखाओं का श्रेणीकरण निम्नांकित मानदण्डों के आधार पर होगा–

शाखा की श्रेणी	व्यवसाय का मानदण्ड	पदधारण
(क) छोटी शाखाएं	गत दो वर्षों में कुल जमाराशियों और अग्रिमों का औसत 2 करोड़ रुपये से कम	वेतनमान-I
(ख) मध्यम/मुख्य शाखाएं	गत दो वर्षों के दौरान कुल जमाराशियों और अग्रिमों का औसत 2 करोड़ रुपये और उससे अधिक किन्तु 15 करोड़ रु० से कम	वेतनमान-II
(ग) बड़ी शाखाएं	गत दो वर्षों के दौरान कुल जमाराशियों और अग्रिमों का औसत 15 करोड़ रुपये और उससे अधिक किन्तु 50 करेड़ रुपये से कम	वेतनमान-III
(घ) बहुत बड़ी शाखाएं	गत दो वर्षों के दौरान कुल जमाराशियों और अग्रिमों का औसत 50 करोड़ रु० और उससे अधिक किन्तु 150 करोड़ रुपये से कम	वेतनमान-IV
(ङ) अत्यधिक बड़ी शाखाएं	गत दो वर्षों के दौरान कुल जमाराशियों और अग्रिमों का औसत 150 करोड़ रु० और उससे अधिक	वेतनमान-V

v) In the cases of experts/specialists like Economists, Statisticians, Law Officers etc., as the role of all these officers vary from Bank to Bank, the grade of these officers will have to be determined by the Board on the basis of their experience, expertise and standing in their respective professions.

vi) The categorisation of posts as on the appointed date in each of the grades and scales (including that of the experts/specialists) should be done in such a manner that as far as possible the aggregate of Basic Pay and D.A. of an official in the new scale bears a reasonable relationship to the aggregate of basic pay and D.A. drawn by an Officer immediately prior to the appointed date.

vii) Regarding classification of branches for the purpose of categorisation of Managers w.e.f. financial year 1995, the following norms shall be adopted :

Category of branch	Business Criteria	Incumbency
(a) Small Branches	Average aggregate deposits and advances below Rs. 2 croses during the last 2 Years	Scale-I
(b) Medium/Main branches	Average aggregate deposits and advances of Rs. 2 croses and above but below Rs. 15 crores during the last two years.	Scale-II
(c) Large Branches	Average aggregate deposits and advances of Rs. 15 crores and above but below Rs. 50 crores during the last two years.	Scale-III
(d) Very Large Branches	Average aggregate deposits and advances of Rs. 50 crores and above but below Rs. 150 crores during the last two years.	Scale-IV
(e) Exceptionally Large Branches	Average aggregate deposits and advances of Rs. 150 crores and above during the last two years.	Scale-V

नोट :

1. उपर्युक्त मानदण्डों के लिए कोई स्टाफ संयोजन नहीं होगा ।
2. प्रतिवर्ष मई महीने में बैंक उपर्युक्त मानदण्डों के आधार पर शाखाओं के श्रेणीकरण का कार्य हाथ में ले सकता है और शाखाओं द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए व्यवसाय के औसत यानी पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक की औसत कुल जमा और अग्रिम को ध्यान में रखते हुए शाखाओं का ग्रेड बढा या घटा सकता है ।

अनुबंध - 4

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 8(1) की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

(1) नियत तिथि को किसी अधिकारी को नए वेतनमान में फिट करते समय अनुसरण किया जाने वाला सामान्य सिद्धांत यह होगा कि ऐसे अधिकारी के नियत तिथि के पूर्व के वेतन और महंगाई भत्ते का योग किया जाए और उसको निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन नए वेतनमान के ऐसे स्टेज पर फिट किया जाए जहां उसका संवेतन नियत तिथि के पूर्व उसके वेतन और महंगाई भत्ते के योग के समतुल्य हो या उससे थोड़ा अधिक हो :–

स्पष्टीकरण :

नियत तिथि के ठीक पूर्व के वेतन में, मूल वेतन के अलावा अन्य ऐसे सभी वेतन/भत्ते सम्मिलित होंगे जो मूल वेतन की ही प्रकृति के हों तथा महंगाई भत्ता और अधिवर्षिता लाभ के लिए जिन्हें मूल वेतन के रूप में माना गया हो ।

(2) कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी, अर्थात् नए वेतनमान के स्केल-I के अन्तर्गत फिट किए गए अधिकारियों के मामले में नियत तिथि के ठीक पूर्व, उस अधिकारी के वेतनमान में उसे देय अगली वेतन वृद्धि की समतुल्य राशि, वर्तमान वेतनमान के उसके वेतन के साथ जोड़ी जाए तथा तदनुरूप नए वेतनमान में उसको फिट किया जाए । यदि कोई अधिकारी अपने वर्तमान वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है, तो उसके वेतनमान में जोड़ी जानेवाली वेतन वृद्धि की राशि उसकी अंतिम वेतन वृद्धि की वास्तविक राशि होगी जिसमें महंगाई भत्ता सम्मिलित नहीं होगा ।

(3) नए वेतनमानों में वेतनमान-IIअथवा उसके ऊपर फिट किए गए अधिकारियों के

Note :

1. There will be no staff linkage to the above norms.
2. Each year in the month of May, the bank may undertake an exercise in the matter of classification of branches on the basis of the above criteria and upgrade or downgrade branches taking into account two years of average business i.e. average aggregate deposits and advances during each of the last two financial years.

ANNEXURE - 4

The following guidelines are issued by the Government in terms of Regulation 8(1) of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

(1) The general principle to be followed for fitment of an officer in the new scale as on the appointed date is to work out the aggregate of pay and D.A. drawn by the officer before the appointed date and fit him at such a stage in the new scale of pay where his salary will be equal to or just above the aggregate of pay and D.A. drawn by him before the appointed date, subject however, to the following provisions :—

Explanation :

Pay drawn immediately prior to the appointed date shall include besides basic pay such other pay/allowances as have the same character as basic pay and reckoned as such for the purpose of both DA and superannuation benefits.

(2) In respect of officers fitted in the Junior Management Grade, i.e. Scale-I under new scales, an amount equal to the next increment due to him in the scale applicable to the officer immediately prior to the appointed date (existing scale) should be added to the pay in the existing scale and fitment in the new scale worked out accordingly. Where an officer has already reached the maximum in his existing scale the amount of increment to be added shall be the last increment drawn by him. The amount to be added shall be the actual quantum of increment alone and not the D.A. paid thereon.

(3) In respect of officers fitted in Scale-II and above in the new

मामले में ऊपर पैरा (2) में बताई गई अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ उनको मिलेगा बशर्ते वेतनमान में उनका मूल वेतन वेतनमान-I में फिट किए गए किसी अधिकारी के वर्तमान वेतनमान में मूल वेतन के समतुल्य हो।

(4) नए वेतनमानों में फिट करने के प्रयोजन के लिए नियत तिथि के ठीक पूर्व किसी अधिकारी को प्राप्त वास्तविक महंगाई भत्ता भी लिया जाएगा; परंतु इसके लिए निम्नलिखित प्रावधान लागू होगा :-

यदि किसी बैंक में महंगाई भत्ते की दर प्रतिशत के आधार पर निश्चित है परंतु जिसकी सीमा ऐसे अधिकतम मूल वेतन पर निश्चित है जिस पर महंगाई भत्ता देय है और ऐसा अधिकतम मूल वेतन रु. 641/- से कम है तो उसको रु. 641/- मान लिया जाएगा।

अनुबंध - 5

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम-14 की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं :-

अधिकारी संवर्ग के विविध वेतनमानों में पदोन्नतियों के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :-

	पदोन्नति	समिति का संगठन
1.	कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I से मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में	एक उप महाप्रबंधक और दो सहायक महाप्रबंधक
2.	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II से मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में	एक महाप्रबंधक और दो उप-महाप्रबंधक
3.	मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III से वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV में	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक, दो महाप्रबंधक या दूसरे महाप्रबंधक की अनुपस्थिति में एक उप महाप्रबंधक
4.	वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV से वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V में	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा एक महाप्रबंधक

scales, the benefit of additional increment referred to in Para (2) above would be available provided their basic pay in the existing scale is equal to the basic pay in the existing scale of an officer fitted into the Scale-I.

(4) For the purpose of fitment in the new scales of pay the D.A. actually drawn by the officer immediately before the appointed date shall be taken into account subject to the following provision :

Where the rate of D.A. is paid in any bank on a percentage basis subject to a limitation on the maximum basic pay that shall rank for D.A. and such maximum basic pay is less than Rs. 641/-, this shall be assumed to be Rs. 641/-.

ANNEXURE - 5

The following guidelines are issued by the Government in terms of Regulation 14 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

The Competent Authority for the purpose of promotions to various scales in the officers' cadre shall be as follows :—

	For promotion from	Committee Comprising
1.	Junior Management Grade Scale I to Middle Management Grade Scale II	One Deputy General Manager and two Assistant General Managers.
2.	Middle Management Grade Scale II to Middle Management Grade Scale III	One General Manager and two Deputy General Managers.
3.	Middle Management Grade Scale III to Senior Management Grade Scale IV	The Chairman & Managing Director or the Executive Director, two General Managers or, in the absence of second General Manager, a Deputy General Manager.
4.	Senior Management Grade Scale IV to Senior Mangement Grade Scale V	The Chair man & Managing Director, the Executive Director & one General Manager.

पदोन्नति	समिति का संगठन
5. वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V से उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI में	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, सरकारी निदेशक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक
6. उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI से उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VII में	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, सरकारी निदेशक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक

नोट : वेतनमान I से वेतनमान II एवं वेतनमान II से वेतनमान III में पदोन्नति के लिए समिति का गठन क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित तरीके से होगा। फिर भी, यदि उसमें उल्लिखित पदनाम का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी बैंक में उपलब्ध हो तो उसे समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। किन्तु यदि समिति में उल्लिखित पदनाम का कोई अधिकारी नहीं हो तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में समिति में 4 अधिकारी होंगे न कि 3 अधिकारी, जैसा कि क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित है। सहयोजित सदस्य, जिस स्तर के लिए पदोन्नति की जाती है उससे एक स्केल ऊपर का होगा और वह अन्य नियमित सदस्य की तरह ही कार्य करेगा/करेगी तथा समिति की सभी बैठकों में भाग लेगा/लेगी।

अनुबंध - 6

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 17 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

(1) निदेशक मंडल निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन एक वेतनमान/श्रेणी से दूसरे में अधिकारियों की पदोन्नति की पात्रता के मानदंड और प्रक्रियाओं का ब्यौरा रूपायित करेगा। यह कार्य नियत तिथि से 6 मास के भीतर हो जाना चाहिए। ऐसी नई पदोन्नति की नीति रूपायित होने तक बैंक, निदेशक मण्डल का अनुमोदन मिलने पर पदोन्नति की वर्तमान रीति का पालन कर सकता हैं।

(2) पदों की रिक्तियों और नीचे दिए गए पात्रता मानदंड के आधार पर सभी पदोन्नतियां, चाहे वे एक वेतनमान से दूसरे वेतनमान के लिए हों या एक श्रेणी

For promotion from	Committee Comprising
5. Senior Management Grade Scale V to Top Executive Grade Scale VI	The Chairman & Managing Director, the Government Director and the Reserve Bank of India Director.
6. Top Executive Grade Scale VI to Top Executive Grade Scale VII	The Chairman & Managing Director, the Government Director and the Reserve Bank of India Director.

NOTE : For promotion from Scale I to Scale II and from Scale II to Scale III, the composition of the Committee would be as mentioned at S.No. 1 and 2. However, if a SC/ST officer of the designation mentioned therein is available within the Bank, he would be included as a member of the Committee. But in case where no officer of the designation mentioned in the composition of the Committee is available member belonging to SC/ST may be co-opted. In that case, the composition of the Committee would be 4 officers instead of 3 officers as mentioned against S. No. 1 and 2. The co-opted member may be one scale above the level for which promotion is made and he/she will function like other regular members and participate in all the meetings of the Committee.

ANNEXURE - 6

The following guidelines are issued by the Government in terms of provisio to Regulation 17 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

(1) The Board shall formulate the eligibility criteria and details of the processes to be employed for promotion of officers from one scale/grade to another, subject to the following provision. This should be done not later than 6 months from the appointed date. Till such time as the new promotion policy is formulated, the Bank may, subject to the approval of the Board, continue with the existing promotion practices.

(2) Subject to the availability of vacancies and the eligibility criteria given below, all promotions whether from one scale to another

से दूसरी श्रेणी के लिए, अधिकारी के सेवा अभिलेख, शैक्षणिक/पेशेवर योग्यता आदि के लिए ऐसी भारिता यदि कोई हो, के साथ गुणवत्ता के आधार पर होंगी जिन्हें बोर्ड समय-समय पर निर्धारित कर सकेगा, सिवाय इसके कि बोर्ड वरिष्ठता के लिए कोई भारिता प्रदान नहीं करेगा।

(3) किसी अधिकारी की एक वेतनमान से दूसरे वेतनमान में पदोन्नति के लिए निम्नतम सेवा अवधि (वर्षों में) सामान्यतः निम्न प्रकार से होगी :-

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-I से मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II में पदोन्नति के लिए कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-I में 7 वर्ष की संतोषजनक सेवा;

परंतु इसके लिए शर्त यह है कि उक्त अधिकारी ने किसी ग्रामीण शाखा में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा की हो। विशेषज्ञ अधिकारी के मामले में, उसे अपेक्षित ग्रामीण शाखा का अनुभव उस समय प्राप्त करना चाहिए जब वह बैंकिंग की मुख्य धारा से जुड़ता है।

नोट- उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांत का परन्तुक 1.6.88 की जाने वाली पदोन्नतियों के लिए लागू होगा।

(ख) मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान-II से मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान-III में पदोन्नति के लिए मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II में 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा :

परंतु इसके लिए शर्त यह है कि उक्त अधिकारी ने अधिकारी के रूप में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा किसी "ग्रामीण" और/या "अर्ध-शहरी" शाखा में की हो। इसमें दो वर्ष की ग्रामीण शाखा का वह अनुभव भी शामिल है जो कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-I से मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II में पदोन्नति के लिए विहित है। विशेषज्ञ अधिकारी के मामले में, उसे अपेक्षित ग्रामीण/अर्धशहरी शाखा का अनुभव उस समय प्राप्त करना चाहिए जब वह बैंकिंग की मुख्य धारा से जुड़ता है।

नोट : उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त का परन्तुक दिनांक 1.6.1988 से लागू होगा।

(ग) मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान-III से वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान-IV में पदोन्नति के लिए मध्य प्रबन्धन श्रेणी वेतनमान-III में 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा।

(घ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-IV से वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-V में पदोन्नति के लिए वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-IV में 3 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा।

(ङ) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-V से उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VI में पदोन्नति के लिए वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-V में 2 वर्ष की संतोषजनक सेवा।

or one grade to another shall be on the basis of merit with weightages, if any for service record, educational/professional qualifications, etc., as may be prescribed by the Board from time to time, except that the Board shall not provide any weightage for seniority.

(3) The minimum eligibility in terms of number of years of service for promotion from one officers' scale to another shall generally be as under :—

a) From Junior Management Grade Scale-1 to Middle Management Grade Scale II—7 years of satisfactory service in Junior Management Grade Scale-I;

Provided that the officer has put a minimum of two years service in a rural branch. As regards specialist officer, he should take the requisite rural branch experience as and when he switches over to the main stream of banking.

NOTE : The proviso to the above guideline will become operative in respect of promotions to be made w.e.f. 1/6/1988.

b) From Middle Management Grade Scale-II to Middle Management Grade Scale-III - 5 years of satisfactory service in Middle Managemet Grade Scale-II;

Provided that the officer has put in a minimum service of three years as an officer in a "rural" and/or "semi-urban" branch. This is inclusive of the two years rural branch experience prescribed for promotion from JMG Scale I to MMG Scale II. As regards the specialist officer, he should take the requisite rural/semi-urban branch experience as and when he switches over to the main stream of banking.

NOTE : The proviso to the above guideline will become operative w.e.f. 1.6.1988.

c) From Middle Management Grade/Scale-III to Senior Management Grade/Scale IV - 5 years of satisfactory service in MMG Scale-III.

d) From Senior Management Grade/Scale-IV to Senior Management Grade/Scale-V - 3 years of satisfactory service in SMG Scale-IV.

e) From Senior Management Grade/Scale-V to Top Executive Grade/Scale-VI-2 years of satisfactory service in SMG Scale-V.

(च) उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VI से उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VII में पदोन्नति के लिए उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VI में 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा।

(4) जब पात्र अधिकारियों की संख्या अगले उच्चतर वेतनमान/श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या की तुलना में एक तिहाई से कम हो तो उपर्युक्त पात्रता मानदण्ड में समुचित रूप से ढील दी जा सकती है।

(4) (क) सभी पदोन्नतियां भविष्य प्रभावी होंगी। यदि अपरिहार्य कारणवश पदोन्नतियों को लागू करने में देर हो जाती है तो पदोन्नतियां उस तारीख से पहले प्रभावी नहीं की जा सकती जिस तारीख को विभागीय पदोन्नति समिति/सक्षम प्राधिकारी ने पदोन्नतियां जारी की हों।

(5) एक वेतनमान से दूसरे वेतनमान में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, सामान्यतः पदोन्नति के लिए विचाराधीन पदों की संख्या की तुलना में तीन या चार गुना होनी चाहिए;

परन्तु निदेशक मण्डल विशेष परिस्थितियों में लिखित रूप में उल्लिखित करने के बाद इस मानदंड में ढील दे सकता है।

(6) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी/वेतनमान-V में सभी पदोन्नतियां एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक तथा एक महाप्रबंधक होंगे। ये पदोन्नतियां समिति द्वारा पात्र अधिकारियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन तथा उनकी कार्य क्षमता के आधार पर की जाएगी।

उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI एवं VII में सभी पदोन्नतियाँ एक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें प्रबंध निदेशक तथा बैंक के निदेशक मंडल के सरकारी निदेशक तथा भारिबैंक के निदेशक होंगे। ये पदोन्नतियाँ समिति द्वारा पात्र अधिकारियों के गुण कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन तथा उनकी कार्यक्षमता के निर्धारण के आधार पर की जाएगी।

(6) (क) निदेशकों की समिति के (जैसा कि मद सं, (5) में उल्लिखित है) निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। फिर भी, समिति के निर्णय से आहत कोई अधिकारी पदोन्नति घोषित होने की तारीख से तीन महीने के भीतर उक्त समिति के पास अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। जैसे ही ऐसे अभ्यावेदन समिति को प्राप्त होते हैं, उसे उनपर विचार करना चाहिए और किसी भी हालत में इस कार्य में अभ्यावेदन प्राप्त करने के छह महीने से अधिक की देर नहीं करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो उसे अपने पहले के निर्णय का पुनरीक्षण या उपांतरण करना चाहिए। समिति का निर्णय लिखित रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

f) From Top Executive Grade/Scale-VI to Top Executive Grade/Scale-VII - 3 years of satisfactory service in Top Executive Grade Scale-VI.

(4) The above eligibility criteria may be relaxed suitably in case where the number of eligible officers is less than three times the number of posts available in the next higher scale/grade.

(4) (a) All promotions will be made only prospectively. In case, the implementation of promotions is delayed due to unavoidable reasons, promotions can be effected from a date not earlier than the date on which DPC/competenet authority cleared the promotions.

(5) The number of persons to be considered for promotion from one scale to another shall normally be restricted to three to four time the number of posts for which promotions are being considered;

Provided that the Board of Directors may relax this criteria in exceptional circumstances after recording the reasons therefore in writing.

(6) All promotion to Senior Managerment Grade Scale-V will be made by a committee consisting of Managing Director, Executive Director and one General Manager of the Bank on the basis of the evaluation of the past performance and assessment of the potential of the eligible officers by the such committee.

All promotions to Top Executive Grade Scale-VI and VII will be made by a Committee of Directors consisting of the Managing Director, the Govt. Director and the RBI's Director on the Board of the Bank on the basis of evaluation of the past performance and the assessment of the potential of the eligible officers by such Committee.

(6) (a) There shall be no appeal against the decision of the Committee of Directors (indicated at para 6 above). However, an officer aggrieved with the decision of the Committee may make a representation to the said Committee within a period of three months from the date on which the promotion was announced. The Committee should consider such representations as soon as they are received and, in any case, not later than six months from the receipt of the representation and review or modify its earlier decision if considered necessary. The decision of the Committee shall be recorded in writing.

(ख) समिति के निर्णय को लागू किए जाने के पूर्व उसे निदेशक मंडल के समक्ष अभिपुष्टि के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(ग) ऊपर उल्लिखित मार्गनिर्देश के होते हुए भी यदि बैंक के अधिकारी संवर्ग के किसी कर्मचारी की नियुक्ति खिलाड़ी के रूप में या अन्यथा हुई तो उसे अपनी सम्पूर्ण सेवावधि में केवल एकबार उस समय बिना-पारी पदोन्नति देने पर विचार किया जा सकता है जब वह अपने देश के लिए पदक जीतता है या उसे भारत सरकार द्वारा कोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है या ओलिम्पिक, एशियाड या किसी अन्य ऐसे अंतरराष्ट्रीय खेल में व्यक्तिगत या दलगत खेल के खिलाड़ी के रूप में कोई पुरस्कार दिया जाता है जिसमें या तो सभी राष्ट्र भाग लेने के पात्र हैं या जिसमें केवल कुछ को उनके खेलप्रदर्शन और पिछले रिकार्ड के आधार पर चयन करके भाग लेने का आमंत्रण दिया जाता है।

यदि अधिकारी संवर्ग का कोई कर्मचारी किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल में कोई अवार्ड/पुरस्कार/पदक जीतता है या आपवादिक मामलों में यदि अधिकारी संवर्ग का कोई कर्मचारी लगातार बढ़िया खेल का प्रदर्शन करता रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं, चैम्पियनशिप, पुरस्कार, पदक आदि जीतता रहा है तथा बैंक उस अधिकारी के मामले को बिना-पारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझता है तो बैंक उसे बैंक के क्रीड़ामण्डल की राय लेकर पदोन्नत कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में नियुक्त होने के बाद जिन खिलाड़ियों ने पूर्व में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बार-बार उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया है और बड़े खेलों में पदक/ट्राफी/खेल-प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप जीता है, परंतु जिन्हें कोई बिना-पारी पदोन्नति नहीं दी गई है, उन्हें भी बैंक, यदि आवश्यक समझे तो बैंक के क्रीड़ामंडल के परामर्श से पूरी सेवा-अवधि में एक बार बिना-पारी पदोन्नति देने पर विचार कर सकता है।

अनुबंध - 7

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 19(1) एवं (2) परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

19 (1) बैंक के किसी अधिकारी की सेवा-निवृत्ति की आयु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निर्धारित की जाएगी :-

(i) 19 जुलाई, 1969 के पहले नियुक्त/पदोन्नत बैंक का कोई अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा-निवृत्त होगा।

(b) The decisions of the Committee have to be placed before the Board of Directors for ratification before being implemented.

(c) The afore-mentioned guidelines notwithstanding, an officer employee of the bank, whether he/she is recruited as a sports person or otherwise, be considered for one out of turn promotion in his/her entire career, after he/she wins a medal for the country or is awarded a National Award by the Government of India or a prize in an individual event or in team event as a playing member of the team in Olympics, Asiad or any other international event in which either all the nations are eligible to participate or a few selected on the basis of their performance and past record, have been invited to participate.

If an officer employee wins an award, prize, medal in any other international event, or in exceptional cases, if an officer employee has been continuously performing well and winning tournaments, championships, prizes, medals, etc. at the National level, and the bank considers the Officer's case fit for out of turn promotion, the bank may promote him/her after seeking the views of the Banks' Sports Board.

Further, as a one time measure, those sports persons who have given repeated outstanding performances at the international level in the past, after joining the Bank's service and have won medals/trophies/tournaments/championships in major international events but have not been given any out of turn promotion, may also be considered by the bank for out of turn promotion, if necessary, in consultation with Banks' Sports Board.

ANNEXURE-7

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 19(1) & (2) of the UCO Bank (Officers') Service Regulations,1979 :—

19 (1) The age of retirement of an officer in the Bank shall be determined in accordance with the following conditions :–

(i) An officer employee of the Bank recruited/promoted prior to 19th July, 1969 shall retire on completion of 60 years of age.

(ii) 19 जुलाई, 1969 के पहले नियुक्त, किन्तु 19 जुलाई, 1969 को या उसके बाद अधिकारी के रूप में पदोन्नत बैंक का कोई अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा-निवृत्त होगा।

(iii) 19 जुलाई, 1969 को या उसके बाद नियुक्त बैंक का कोई अधिकारी, चाहे वह अवार्ड स्टाफ या अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हो, 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा-निवृत्त होगा।

(2) वेतनमान V एवं उसके ऊपर के अधिकारियों के मामलों के पुनरीक्षण के लिए विशेष समिति ऐसी विभागीय पदोन्नति समिति होगी जो अधिकारी सेवा विनियम के विनियम 17 के अधीन उनकी पदोन्नति के लिए गठित की गई हो और जिसमें बैंक के निदेशक मंडल में रहने वाले मुख्य कार्यपालक, सरकारी निदेशक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक शामिल हों।

अनुबंध - 8

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 22(2) के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :

विनियम 22 (2) (i) और अन्य विनियमों के प्रयोजन के लिए प्रमुख "ए" श्रेणी के नगरों का आशय निम्नलिखित नगरों से होगा, जो 1.8.1982 से प्रभावी होगा :-

अहमदाबाद, बेंगलूर, मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई।

अनुबंध - 9

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनिमय 23 (ii) के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

दिनांक 1.1.90 से अधिकारी संवर्ग के कर्मचारियों को नीचे के कालम 1 में निर्दिष्ट स्थानों पर और कालम 2 में निर्दिष्ट दरों पर तब तक विशेष क्षेत्र भत्ता दिया जा सकता है जब तक कि उन्हें वापस न ले लिया जाए अथवा पूर्णतः या अंशतः उपांतरित न किया जाए।

परंतु यह कि यदि नीचे के कालम 1 में निर्दिष्ट किसी स्थान पर विनियम 23 (X) के अधीन उपबंधित पर्वत तथा ईंधन भत्ते भी देय है तो अधिकारी इन दोनों में से केवल उच्चतर भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा, दोनों नहीं। परंतु यह और कि यदि इन दोनों में से उच्चतर भत्ता 31.12.1989 को अधिकारी द्वारा आहरित विशेष क्षेत्र भत्ता तथा पर्वत एवं ईंधन भत्ते के

(ii) An officer employee of the Bank recruited prior to 19th July, 1969 but promoted as an officer on or after 19th July, 1969 shall retire on completion of 60 years of age.

(iii) An officer employee of the Bank recruited whether as an Award staff or as an officer employee on or after 19th July, 1969 shall retire on completion of 58 years of age.

(2) The Special Committee for reviewing the cases of the officers in Scale-V and above shall be the DPC constituted for their promotion under regulation 17 of the Officers' Service Regulations i.e., the Chief Executive, Government Director and the RBI Director on the Board of the Bank.

ANNEXURE-8

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 22 (2) of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

For the purpose of Regulation 22 (2) (i) and other Regulations, Major 'A' class cities shall mean the following cities effective from 1/8/1982 :—

Ahmedabad, Bangalore, Mumbai, Calcutta, Delhi, Hyderabad and Chennai.

ANNEXURE-9

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 23 (ii) of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

With effect from 1.1.90, a Special Area Allowance may be paid to the Officer Employees at places indicated in column 1 below and at the rates indicated in column 2 till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially.

Provided that if at any of the places indicated in column 1 below Hill and Fuel Allowance as provided under Reg. 23(x) is also payable, then the officer shall be eligible to draw only higher of the two allowances and not both. Provided further that if such higher of the two allowances is less

योग से कम हो तो ऐसे अंतर को व्यैक्तिक भत्ते के रूप में तब तक संरक्षित किया जाएगा जब तक अधिकारी उस स्थान पर रहता है।

कालम 1	कालम 2	
	वेतन 2100 से 3000 तक	वेतन 3001 से अधिक
1. **मिजोरम**		
(1) मिजोरम का चिम्पटुइपुइ जिला के लुंगलेइ जिले में ऐसे क्षेत्र जो लुंगलेइ शहर से 25 कि. मी. दूर हैं।	500	650
(2) मिजोरम के लुंगलेइ शहर से 25 कि. मी. दूर के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेइ जिला	400	525
(3) संपूर्ण आइजोल जिला	300	375
2. **नागालैंड**	400	525
3. **अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह**		
(क)दक्षिण अंदमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	400	525
(ख)उत्तरी एवं मध्य अंदमान, छोटा अंदमान, निकोबार एवं नारकोंडम द्वीपसमूह	500	650
4. **सिक्किम**	400	525
5. **लक्षद्वीप द्वीपसमूह**	500	650
6. **असम**	80	100
7. **मेघालय**	80	100
8. **त्रिपुरा**		
(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	400	525
(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण त्रिपुरा	300	375
9. **मणिपुर**	300	375

than the aggregate of Special Area Allowance and Hill and Fuel Allowance drawn by the officer on 31.12.1989 then such difference shall be protected as personal allowance till such time the officer remains at that place.

Column 1	Column 2	
	Pay from 2100 to 3000	Pay from 3001 to above
1. **Mizoram**		
1) Chimptuipui Dist. of Mizoram and areas beyond 25 Kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram	500	650
2) Throughout Lunglei District excluding area beyond 25 Kms from Lunglei town of Mizoram	400	525
3) Throughout Aizawal District	300	375
2. **Nagaland**	400	525
3. **Andaman & Nicobar Islands**		
a. South Andaman (including Port Blair)	400	525
b. North & Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar & Narcondum Islands	500	650
4. **Sikkim**	400	525
5. **Lakshadweep Islands**	500	650
6. **Assam**	80	100
7. **Meghalaya**	80	100
8. **Tripura**		
a. Difficult areas of Tripura	400	525
b. Throughout Tripura except Difficult Areas	300	375
9. **Manipur**	300	375

कालम 1	कालम 2	
	वेतन 2100 से 3000 तक	वेतन 3001 से अधिक
10. अरुणाचल प्रदेश		
(क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र	500	650
(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश	400	525
11. जम्मू व कश्मीर		
1. कठुआ जिला		
(क) नियाबत बानी (ख) लोही (ग) मल्हार (घ) मछोदी	500	650
2. (i) **उधमपुर जिला**		
(क) दुदु बसंतगढ़ (ख) लेंडर भामग इलाका (ग) ठाकराकोट (घ) नागोट	500	650
(ii) **तहसील माहोर**		
(1) कम्बन की ओर से गोयेल तक के क्षेत्र और कियासी की ओर से अरनास तक के क्षेत्र के लिए	400	525
(2) शेष क्षेत्रों के लिए	500	650
3. **डोडा जिला**		
(क) किस्तवार तहसील के अंतर्गत पद्देर के इलाके (ख) किस्तबार तहसील के अंतर्गत नियाबत नैगाम	500	650

Column 1	Column 2	
	Pay from 2100 to 3000	Pay from 3001 to above
10.Arunachal Pradesh		
a. Difficult Areas of Arunachal Pradesh	500	650
b. Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas	400	525
11. Jammu & Kashmir		
1. **Kathua Distt.**		
a. Niabat Bani b. Lohi c. Malhar d. Machhodi	500	650
2. (i) **Udhampur Distt.**		
a. Dudu Basantgarh b. Lander Bhamag Illaca c. Thakrakote d. Nagote	500	650
(ii) Tehsil Mahore		
1. For areas upto Goel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side.	400	525
2. For the rest of the areas.	500	650
3. **Doda Distt.**		
a) Illaquas of Padder in Kishtwar Tehsil b) Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	500	650

कालम 1	कालम 2	
	वेतन 2100 से 3000 तक	वेतन 3001 से अधिक
4. लेह जिला		
(क) जन्सकार, नोयामा और नोबरा	500	650
(ख) उपयुक्त "क" में आने वाले स्थान को छोड़कर जिले के अन्य सभी स्थान	400	525
5. बारामूला जिला		
(क) संपूर्ण गुरेज नियाबत, टांगदार अनुमंडल और केरन इलाका	500	650
(ख) माचिल	400	525
6. पुंछ और राजौरी जिला		
पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र, पुंछ एवं राजौरी और सुंदरबनी शहर तथा इन दो जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र को छोड़कर	300	375
7. उन क्षेत्रों में जो उक्त (1) से (6) तक में शामिल नही हैं, परंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं या उन स्थानों पर जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने स्टाफ के लिए समय-समय पर सीमा भत्ता के योग्य घोषित किया जाए।	300	375
12. हिमाचल प्रदेश		
1. (क) चंबा जिले का पंगी अनुमंडल	500	650
1. (ख) चंबा जिले का भारमौर अनुमंडल	500	650
1. (ग) लाहौल और स्पीति जिला	500	650
1. (घ) किन्नौर जिला	500	650

Column 1	Column 2	
	Pay from 2100 to 3000	Pay from 3001 to above
4. **Leh Distt.**		
a) Zanskar, Noyama and Nobre	500	650
b) All places in the Distt. other than those covered in (a) above	400	525
5. **Barmulla District**		
a) Entire Gurez Niabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa	500	650
b) Matchill	400	525
6. **Poonch & Rajouri Distt.**		
Areas in Poonch and Rajouri Distt. excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other Urban areas in the two Districts.	300	375
7. Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 Kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time to time by the State Government for their own staff.	300	375
12. **Himachal Pradesh**		
1. (a) Pangi Sub-Division of Chamba Distt.	500	650
1. (b) Bharmour Sub-Division of Chamba Distt.	500	650
1. (c) Lahaul & Spiti Distt.	500	650
1. (d) Kinnaur Distt.	500	650

कालम 1	कालम 2	
	वेतन 2100 से 3000 तक	वेतन 3001 से अधिक
1. (ड) दोदरा-कवार तहसील और छैबिस, पंड्राबिस परगने तथा शिमला जिले के रामपुट तहसील का मुनीस दरकाली एवं कशापात ग्राम पंचायत	500	650
1. (च) कुल्लू जिले का पंड्राबिस परगना	500	650
1. (छ) कांगड़ा जिले के पालमपुर अनुमंडल का छोटा भांगल व बड़ा भांगल क्षेत्र	500	650
1. (ज) चंबा जिले के भटियात तहसील का ज्ञानेन्द्र पंचायत क्षेत्र	500	650
1. (झ) करसोग तहसील के माहोग, सरहान, गोपालपुर, तेबन, पोखी, नांज, खानोज, बगरा, सैंज महूदी और बालीधर पंचायत	500	650
1. (ञ) शिमला शहर और इसके आसपास के इलाके (मसोबरा, ढाली, तारादेवी, कुसुम्पटी, जाटोग और टुटु)	500	650
1. (ट) देवठी ग्राम पंचायत (तकलेच क्षेत्र) और शिमला जिले के रामपुर तहसील के नौबिस, साराबान और बाराबिस परगने	500	650
1. (ठ) मंडी जिले के जोगिन्दर नगर तहसील की छुहार घाटी और थुनाग तहसील के गाटू, बगरा, छत्री, थचधार, गारागुस, हाइन, कलाहारी, थाना सिलिबागी, छेतधर, चनवार, ताशी, जोहार खोलनाल, सोमाचन लोथ, जरयार, जनजेहली और कलवानर पंचायत	500	650
1. (ड) सोलन जिले का मंगल पंचायत क्षेत्र	500	650

Column 1	Column 2	
	Pay from 2100 to 3000	Pay from 3001 to above
1. (e) Dodra-Kawar Tehsil and Parganas of Chhaibis, Pandrabis, Gram Panchayat of Munish Darkali and Kashapat of Ramput Tehsil of Simla Distt.	500	650
1. (f) Pargana of Pandrabis of Kulu Distt.	500	650
1. (g) Chhota Bhangal and Bara Bhangal area of Palamupur Sub-Division of Kangra Distt.	500	650
1. (h) Janandru Panchayat area of Bhatiyat Tehsil of Chamba District	500	650
1. (i) Mahog, Sarhan, Gopalpur, Teban, Pokhi, Nanj, Khanoj, Bagra, Sainj-Mahudi and Balidhar Panchayats of Karsog Tehsil	500	650
1. (j) Simla Town and its suburbs (Mashobra, Dhalli, Taradevi, Kasumbpti, Jatog and Tutu)	500	650
1. (k) Gram Panchayat Deothi (Taklech areas) and Parganas of Naubis, Saraban, and Barabis of Rampur Tehsil of Simla Distt.	500	650
1. (l) Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats of Gattoo, Bagraa, Chatri, Thachadhar Garragus Hain, Kalahari, Thana Silibagi, Chhetdhar, Chanvar, Tachi, Johar Kholanal, Somachan Loth, Jaryar, Janjehi and Kalwanr of Thunag Tehsil of Mandi Distt.	500	650
1. (m) Mangal Panchayat area of Solan Distt.	500	650

कालम 1	कालम 2	
	वेतन 2100 से 3000 तक	वेतन 3001 से अधिक
1. (ढ) कुल्लू जिले का आउटर सेराज और मलाना पंचायत क्षेत्र	500	650
1. (ण) सिरमूर जिले का ट्रांस-गिरि ट्रैक्ट	500	650
2. (क) जनजेहली प्रखंड (उपर्युक्त 1(1) में दिए गए मंडी जिले के चाचियोट तहसील के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र को छोड़कर	300	375
2. (ख) शिमला जिले का ट्राह चोपाल तहसील	300	375
2. (ग) चम्बा जिले का चुराह तहसील	300	375
2. (घ) चम्बा जिले का मुनर पंचायत और बेलाज परगना	300	375
2. (ङ) डलहौजी शहर	300	375
2. (च) रामपुर तहसील	300	375
2. (छ) करसोग तहसील, उपर्युक्त 2 (ग) में निर्दिष्ट पंचायत को छोड़कर	300	375
3. मनाली-ऊझी क्षेत्र, पर्वती और लाग घाटी तथा कुल्लू जिले का बंजार प्रखण्ड	80	100
13. उत्तर प्रदेश		
1. (क) चमोली जिला		
1. (ख) धारचुला	500	650
1. (ग) मुसियारी		
1. (घ) भटवारी विकास प्रखंड (उत्तर काशी के जिला मुख्यालय को छोड़कर)		
2. पिथौरागढ़ और उत्तर काशी (उत्तर काशी का जिला मुख्यालय सहित) के सीमावर्ती जिले के अन्य क्षेत्र	300	375

Column 1	Column 2	
	Pay from 2100 to 3000	Pay from 3001 to above
1. (n) Outer-Saraj and Malana Panchayat area of Kulu Distt.	500	650
1. (o) Trans-Giri Tract of Sirmur Distt.	500	650
2. (a) Janjehli Block (excluding area covered in 1(1) above Chachiot Tehsil of Mandi Distt.)	300	375
2. (b) Trah Chopal Tehsil of Simla Distt.	300	375
2. (c) Churah Tehsil of Chamba Distt.	300	375
2. (d) Munr Panchayat and Belaj Pargana of Chamba Distt.	300	375
2. (e) Dalhousie Town	300	375
2. (f) Rampur Tehsil	300	375
2. (g) Karsog Tehsil Minus the Panchayat indicated under 2(c) above	300	375
3. Manali-Ujhi areas, Parvati and Lagg Valley and Banjar Block of Kulu Distt.	80	100
13. Uttar Pradesh		
1. (a) Chamoli Distt.		
1. (b) Dharchula		
1. (c) Munsiyari	500	650
1. (d) Bhatwari Development Blocks (except District Headquarters of Uttarkashi)		
2. Other areas of Border Districts of Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi)	300	375

अनुबंध - 10

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 24 की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

विनियम 24 (1) (ख) (i) के अधीन अस्पताल में भर्ती खर्च की प्रतिपूर्ति कामगार कर्मचारियों के लिए द्विपक्षीय समझौते के अधीन निर्धारित अस्पताल में भर्ती योजना की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित सीमा के अधीन रहते हुए की जाएगी :

अधिकारी का वेतनमान	सीमा
(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-I और मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II एवं III	(I) शैया प्रभार खुद के लिए : 225/- रु० परिवार के लिए : 180/- रु०
	(II) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों पर लागू अस्पताल में भर्ती योजना के अधीन निर्धारित सीमा का एक एवं एक चौथाई गुणा ।
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV तथा V एवं उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान-VI तथा VII	(I) शैया प्रभार खुद के लिए : 305/- रु० परिवार के लिए : 240/- रु०
	(II) अन्य प्रभार कामगार कर्मचारियों पर लागू अस्पताल में भर्ती योजना के अधीन निर्धारित सीमा का डेढ़ गुणा ।

ANNEXURE-10

The following guidelines are issued by the Government in terms of Regulation 24 of the UCO Bank (Officers') Service Regulation, 1979 :—

Reimbursement of hospitalisation expenses under Regulation 24 (1) (b) (i) shall be in terms of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement for workmen employees, subject to the following limits :—

Scale of Officer	Limits
(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	(i) Bed Charges Self : Rs. 225/- Family : Rs. 180/-
	(ii) Other Charges One and a quarter times the limits laid down under the Hospitalisation scheme applicable to workmen employees.
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	(i) Bed Charges Self : Rs. 300/- Family : Rs. 240/-
	(ii) Other Charges One and half times the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.

अनुबंध - 11

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 25 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

(i) किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवास तभी प्रदान किया जाएगा यदि उसका अपना मकान उस केन्द्र पर नहीं हो। आपवादिक मामलों में यदि अधिकारी का अपना मकान उसकी पद प्रतिष्ठा के बिल्कुल अनुकूल न हो तो निदेशक मंडल के अनुमोदन से ऐसे मामले में अपवादस्वरूप निर्णय लिया जा सकता है।

(ii) किसी भी अधिकारी को अपने रहने के लिए अपना ही मकान पट्टे पर बैंक को देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

नोट : अपना मकान से आशय अधिकारी के अपने नाम का या उसकी पत्नी के नाम का या उसके आश्रित बच्चे के नाम का मकान है।

उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांत के उप-पैरा 1 के अपवादस्वरूप, वास्तविक मामलों में यदि कोई अधिकारी किराएदारों द्वारा मकान खाली न किए जाने के कारण अपने मकान पर दखल करने की स्थिति में न हो तो बैंक स्वविवेकानुसार और मामले के तथ्य के आधार पर संबंधित अधिकारी को बैंक का आवास उपलब्ध करा सकता है। फिर भी, बैंक को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अधिकारी ने फ्लैट खाली कराने के लिए विधिक कार्रवाई सहित सकारात्मक कार्रवाई की है और वह इसके लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। जब अधिकारी अपने फ्लैट पर दखल करने में सफलता प्राप्त कर लेता है या यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किराएदारों आदि के साथ साँठ-गाँठ कर उसे खाली नहीं करा रहा है तो बैंक के आवास की सुविधा वापस ली जा सकती है।

अनुबंध-12

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 26 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

(1) बैंक की कार के व्यक्तिगत उपयोग की सुविधा साधारणतया बैंक के उच्च कार्यपालक सवर्ग के कार्यपालकों तक सीमित रहनी चाहिए। किन्तु बैंक की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मण्डल, यदि आवश्यक हो, तो अन्य अधिकारियों को भी यह सुविधा प्रदान कर सकता है।

ANNEXURE-11

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 25 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

(i) An officer should be provided accommodation by the Bank only if he does not have his own house at that centre. Exception to this, on account of his own house being far below the status of the officer, may be made only in exceptional cases with the approval of the Board of Directors.

(ii) No officer should be allowed to lease his own house to the Bank for residential purpose for himself.

Note :- Own house should include a house owned by an officer in his own name or in the name of his wife or a dependent child.

As an exception to Sub-para (i) of the above guidelines, in genuine cases where an officer is not in position to occupy his house as the same is not vacated for his occupation by the tenants, the bank may, entirely at its discretion and depending upon facts of the case, provide the concerned officer with Bank's Accommodation. However, the Bank must ensure that the officer has taken positive steps including legal, and is vigorously pursuing the same, for obtaining vacant possession of the flat. The facility of bank's accommodation may be withdrawn after the officer succeeds in obtaining possession of his flat or it becomes clear that he is colluding with the tenants etc. in not getting it vacated.

ANNEXURE-12

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 26 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

(1) The facility of personal use of the Bank's car should normally be confined to executives in the Top Executive cadre of the Bank. The Board may, however, extend this facility to such other officers as may be considered necessary having regard to the special circumstances of the Bank.

(2) अधिकारियों को केवल 16 अश्व-शक्ति की अवातानुकूलित कारें उपलब्ध करानी चाहिए। निदेशक मण्डल द्वारा प्राधिकृत किसी ऐसे बैंक अधिकारी को, जिसे बैंक की कार व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी गई हो, पहले 500 कि.मी. के लिए प्रतिमास 150/- रुपये और 500 कि.मी. से अधिक के लिए 1/- रु. प्रति कि.मी. के हिसाब से भुगतान करना होगा।

(3) कार्यपालकों को उपलब्ध कराई गई कारों मे वातानुकूलक उपकरण नहीं लगाया जाना चाहिए। इन पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांत के ज़ारी किए जाने के पूर्व, जिन कार्यपालकों वातानुकूलित कारें उपलब्ध कराई गई है या जिनकी कारों में वातानुकूलक उपकरण लगाए गए है, उनसे प्रथम 500 कि.मी. के लिए 200 रुपये प्रति मास और 500 कि.मी से अधिक के लिए 1.25 रु. प्रति कि.मी के हिसाब से वसूल किया जाएगा।

अनुबंध - 13

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम 27 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

निदेशक मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर अधिकारी को मोटर कार या अन्य वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाएंगे :-

(1) 6210/- रु० प्रतिमाह से कम मूल वेतन पानेवाला अधिकारी मोटर कार खरीदने के लिए ऋण पाने का पात्र नहीं होगा।

तथापि, 6210/- रु० प्रतिमाह से कम मूल वेतन पाने वाला शारीरिक रूप से निशक्त अधिकारी मारुति उद्योग लि० द्वारा बिक्री किए जाने वाले विशेष मोटर कार खरीदने के लिए ऋण पाने का पात्र होगा बशर्ते उसने बैंक में 5 वर्ष तक लगातार सेवा पूरी की हो।

(2) मोटर कार की खरीद के लिए दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि उस कार के मूल्य का 80% होगी और इसकी अधिकतम सीमा 1,60,000/- रु० होगी। कोई अन्य वाहन खरीदने के लिए अधिकतम ऋण राशि वाहन के मूल्य का ९०% परन्तु अधिकतम 30,000/- रु० होगी।

ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित 30,000/- रु० की अधिकतम सीमा कृषि क्षेत्र तथा विपणन अधिकारियों के लिए लागू नहीं होगी, उसके मामले में ऋण की अधिकतम सीमा वाहन के मूल्य का 90% होगी।

(2) Only non-air conditioned cars below 16 H.P. should be provided to the officers. An officer of the Bank who is authorised by the Board to use the car for personal purposes would be required to pay a sum of Rs. 150/- per month for the first 500 kms. and Re. 1/- per km. beyond 500 kms.

(3) No air-conditioner should be installed in the cars provided to the executives. Where, however, airconditioned cars have been provided to the executives or air-conditioners have been installed in the cars provided to the executives before the issue of the revised guidelines, the rate of recovery would be Rs. 200/- per month for the first 500 kms and Rs. 1.25p. for each km beyond 500 kms.

ANNEXURE - 13

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 27 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

The Board shall lay down the terms and conditions on the basis of which loans for the purchase of motor car or other forms of conveyance shall be sanctioned to an officer subject, however, to the following conditions :-

(1) An officer drawing a basic pay of less than Rs. 6210/- p.m. shall not be eligible for a loan for purchase of a motor car.

However, a physically handicapped officer drawing a basic pay of less than Rs. 6,210/- p.m. shall be eligible for a loan for purchase of special motor car marketed by Maruti Udyog Ltd., provided he has completed 5 years of continuous service in the Bank.

(2) The maximum amount of loan that may be granted for the purchase of motor car shall be 80% of the cost of the motor car subject to a maximum of Rs. 1,60,000/-. The maximum amount for purchase of any other conveyance shall be 90% of the conveyance subject to a maximum of Rs. 30,000/-.

The maximum ceiling of Rs. 30,000/- mentioned at para(2) above will not be applicable in the case of Agrl. Field Officers and Marketing Officers; in their cases the amount of loan will be subject to a ceiling of 90% of the cost of the vehicle.

(3) ऋण पर निम्नलिखित प्रकार से साधारण ब्याज लिया जाएगा :

मोटर कार ऋण – 80,000/- रु० तक के ऋण पर 8.5% प्रति वर्ष (साधारण ब्याज) तथा 80,000/- रु० से अधिक के ऋण के लिए बैंक दर से ऊपर या 12% प्रतिवर्ष (साधारण ब्याज)

स्कूटर/मोटर साइकल ऋण – 15,000/- रु० तक के ऋण पर 7.5% प्रतिवर्ष (साधारण ब्याज) तथा 15,000/- रु० से अधिक पर 12% प्रतिवर्ष (साधारण ब्याज)

(4) ब्याज सहित ऋण की चुकौती मोटर कार खरीदने के लिए दिए गए ऋण के मामले में 200 और अन्य वाहन खरीदने के लिए दिए के ऋण के मामले में 84 मासिक किस्तों से अनधिक में की जाएगी।

अनुबंध - 14

यूको बैंक अधिकारी सेवा विनियम, 1979 के विनियम 28 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :-

अधोलिखित शर्तों के अध्यधीन निदेशक मंडल विस्तृत निबंधन और शर्तें तय करेगा जिसके आधार पर बैंक की सेवा में स्थायीकृत किसी अधिकारी को भूमि के क्रय और/या गृह के या गृह/फ्लैट/अपार्टमेंट की खरीद या निर्माण के लिए ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा :-

1. पात्रता :

(i) केवल वही अधिकारी इस ऋण को प्राप्त करने का पात्र होगा जिसने बैंक में लगातार पाँच वर्ष की सेवा पूरी की हो। परन्तु यहाँ सक्षम प्राधिकारी इस शर्त में छूट दे सकता है यदि वह अधिकारी बैंक की सेवा में आने से पूर्व सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी वित्तीय संस्थान या भारतीय रिज़र्व बैंक या केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार की स्थायीकृत सेवा में था और उसे अपने पूर्व-नियोक्ता से गृह-निर्माण के लिए कोई ऋण नहीं मिला था।

(ii) बैंक में स्थायीकृत होने के बाद भूतपूर्व सैनिक अपनी पूर्व सैनिक सेवावधि को पात्रता हेतु गिना सकते हैं।

(iii) पति या पत्नी एक ही बैंक में या दूसरे बैंकों में या उनमें से एक केन्द्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में या किसी दूसरी सरकारी संस्था में या स्थानीय निकाय आदि में कार्य करता हो तो गृह-निर्माण ऋण उनमें से किसी एक

(3) The rate of interest on the above loans will be as follows :

Motor Car Loan — 8.5% p.a. (Simple) for loan upto Rs. 80,000/- and higher of Bank Rate or 12% p.a. (Simple) for loan beyond Rs. 80,000/-.

Scooter/Motor Cycle Loan — 7.5% p.a. (Simple) for loan upto Rs. 15,000/- and higher of Bank rate or 12% p.a. (Simple) for loan beyond Rs. 15,000/-.

(4) Loan, together with interest thereon shall be repayable in not more than 200 monthly instalments in the case of motor car and in not more than 84 monthly instalments in the case of loan for purchase of any other conveyance.

ANNEXURE - 14

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 28 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations, 1979 :—

The Board shall lay down detailed terms and conditions on the basis of which loans may be sanctioned to an officer confirmed in the bank service for purchase of land and/or for construction of a house or for purchase of or for construction of a house/flat/apartment subject to the following conditions :—

1. ELIGIBILITY :

(i) Only an officer who has completed 5 years of continuous service in the bank shall be eligible for loan. Provided that the competent authority may relax this condition in such cases where the officer was in the confirmed service of public sector bank or public sector financial institution or Reserve Bank of India or Central Government/State Government or an undertaking of Centre/State Government before joining the service of the bank and had not availed of any housing loan from his previous employer.

(ii) Ex-servicemen may account their past military service for the purpose of eligibility after their confirmation in the Bank.

(iii) If the husband and wife either working in the same bank or in different banks or one spouse working in Central Government/State Government or public enterprises or some other

को ही मिल सकेगा। बैंक कर्मचारी से एक प्रमाणपत्र लेगा कि उसके/उसकी पति/पत्नी द्वारा कोई गृह-निर्माण ऋण नहीं लिया गया है और न ही उसको कोई गृह निर्माण ऋण मिलने वाला है।

(iv) यदि कोई बैंक अधिकारी, जो सरकारी विभाग अथवा विदेशी सेवा में प्रतिनियुक्ति पर है तो वह अपने मूल बैंक से ही गृह-निर्माण ऋण पाने का हकदार होगा/होगी।

(v) निलंबित अधिकारी भी गृह-निर्माण ऋण के पात्र होंगे पर उन्हें बैंक के दो स्थायी अधिकारियों को प्रतिभु के रूप में संपार्श्विक जमानत देना होगा।

(vi) कोई अधिकारी अपनी सेवावधि में सिर्फ एकबार ही गृह-निर्माण ऋण ले सकेगा और किसी भी स्थिति में उसे कोई दूसरा या अतिरिक्त गृह-निर्माण अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि किसी अधिकारी ने पैरा 5 (i) में यथोल्लिखित गृह आदि के निर्माणार्थ ऋण पा लिया है तो वह पैरा 5 (ii) में यथोल्लिखित आवास स्थान के विस्तार अथवा गृह-निर्माण हेतु ऋण का पात्र नहीं होगा।

2. उद्देश्य :

(i) कोई प्लॉट अर्जित करना और उस पर गृह-निर्माण करना।

(ii) अधिकारी के द्वारा अथवा उसके/उसकी पति/पत्नी के साथ संयुक्त रूप से धारित प्लॉट पर गृह-निर्माण।

(iii) सहकारी योजनान्तर्गत कोई प्लॉट लेना और उस पर गृह-निर्माण जहां गृह-निर्माण के पश्चात् अधिकारी को गृह की हकदारी मिलेगी।

(iv) अधिकारी एकल रूप से अथवा अपने पति/पत्नी के साथ जिस गृह में निवास कर रहा हो उसके विस्तार हेतु वर्तमान ढाँचे (भूमि का मूल्य छोड़कर) और उस पर प्रस्तावित परिवर्धन का कुल मूल्य निर्धारित लागत से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(v) राज्य आवास बोर्डों अथवा उसके समकक्ष सरकार नियंत्रित निकायों से किराए पर क्रय किए गृह के एकमुश्त क्रय हेतु और सरकारी, अर्धसरकारी या स्थानीय निकायों, आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों आदि अथवा प्राइवेट पार्टी से नए तैयार गृहों की एकमुश्त खरीद हेतु।

(vi) स्व-वित्तपोषण योजनान्तर्गत तथा सहकारी समूह गृह-निर्माण समितियों से गृह/फ्लैट की खरीद।

(vii) गृह-निर्माणार्थ बैंक/प्राइवेट स्रोत से लिए गए ऋण की चुकौती हेतु, भले ही निर्माण आरंभ हो गया हो।

(viii) किसी आवासीय कॉलोनी में दुकान-सह-निवास हेतु निर्धारित प्लाटों पर भवन के सिर्फ आवासीय भाग के निर्माण हेतु।

Government Institute or local body etc., HBA will be admissible to only one of them. The bank will obtain a certificate from the employee that no HBA has been aviled of by his/her spouse or will be availed by him/her.

(iv) A bank officer on deputation to a Govt. Department or on foreign service will be entitled for HBA from his/her parent bank only.

(v) Officers under suspension will also be eligible for HBA but they should furnish collateral security in the form of sureties from two permanent officers of the Bank.

(vi) The officer shall be entitled to housing loan only once in his service career and under no circumstances he will be sanctioned a second or additional HBA. If an officer has availed himself of HBA for construction of house etc. as specified in para 5 (i) he/she will not be entitled to HBA for enlargement of accommodation specified in para 5 (ii) and vice-versa.

2. PURPOSES :

(i) Acquiring a plot and constructing a house thereon;

(ii) Constructing a new house on the plot already owned by the official or jointly with his/her spouse;

(iii) Getting a plot under co-operative schemes and building a house, where title will vest on the official after the house is built.

(iv) Enlarging living accommodation in an existing house owned by the official or jointly with spouse. The total cost of the existing structure (excluding cost of land) and the proposed additions should not exceed the prescribed cost ceiling.

(v) Conversion of hire-purchase into outright purchase of house/flat from State Housing Boards or similar Govt. controlled bodies and outright purchase of new ready built house or flat from Govt., Semi-Govt. or local bodies, Housing Boards, Development Authorities etc. and from private parties.

(vi) Purchasing of house/flat under self financing housing scheme and co-operative Group Housing Societies.

(vii) Repayment of loan taken from bank/private source for house construction, even if the construction has already commenced.

(viii) Constructing the residential portion alone of the building on a plot which is earmarked as shop-cum-residential plot in a residential colony.

3. शर्तें :

(i) अधिकारी ने इस उद्देश्य से किसी दूसरे सरकारी स्रोत से और आवास बोर्ड से, अन्य अर्ध-सरकारी अथवा स्थानीय निकायों से, विकास प्राधिकरणों आदि से कोई ऋण अथवा अग्रिम नहीं लिया हो। यदि ऐसे ऋण लिए गए हैं तो गृह-निर्माण ऋण तभी स्वीकृत होगा जब बैंक कर्मचारी बकाया ऋण राशि शीघ्र ही एकमुश्त लौटाने का वादा करे।

(ii) जिस स्थान पर नया गृह-निर्माण याअर्जन हेतु प्रस्तावित है उस नगर/शहरी क्षेत्र में अधिकारी का उसके/उसकी पति/पत्नी अथवा नाबालिग बच्चे का कोई गृह न हो।

(iii) भूमि का हक स्पष्ट हो।

(iv) तैयार गृह/फ्लैट की एकमुश्त क्रय के लिए ही अग्रिम स्वीकृत होगा। यह खरीद सरकारी/अर्ध सरकारी निकायों, आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, पंजीकृत सहकारी समितियों आदि से या प्राइवेट पार्टियों से की जा सकती है।

4. उच्चतम लागत :

(i) जमीन की कीमत छोड़कर मकान की लागत बड़े "क" श्रेणी के शहरों में 8 लाख रुपये तथा अन्य शहरों में 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक द्वारा इस लागत सीमा में मेरिट के आधार पर 25% तक छूट दी जा सकती है। संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के लिए यह बाध्यकारी होगा कि ऋण विशेष के संबंध में मकान की लागत को स्वीकार करने के पहले वित्तपोषण के साधनों एवं स्रोतों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर ले।

(ii) विद्यमान आवास का विस्तार करने के मामले में विद्यमान संरचना की कुल लागत एवं उसके विस्तार की कुल लागत का योग उक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) यदि गृह-निर्माण हेतु अंशदायी भविष्य निधि से भी आहरण किया जाता है तो अंशदायी भविष्य निधि से ली गई धनराशि एवं गृह-निर्माण अग्रिम की राशि का योग उक्त सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iv) यदि किसी आवासीय कालोनी में स्थित दुकान सह आवासीय प्लाट पर भवन क आवासीय भाग के निर्माण हेतु अग्रिम लिया गया है तो :-

(क) भूमि की लागत और प्रस्तावित भवन के आवासीय भाग एवं दुकान (दुकानों) के निर्माण की लागत उक्त सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. **CONDITIONS :**

(i) The official should not have availed of any loan or advance for the purpose from any other Government source and Housing Board, other semi-Government, local Bodies or Development Authorities etc. Where such loan has been availed of, HBA can be granted if the bank employee undertakes to repay the outstanding loan forth with in one lumpsum.

(ii) The official or spouse or minor child should not already own a house in the town/urban agglomeration where the house is proposed to be constructed or acquired.

(iii) The title to the land should be clear.

(iv) Advance for ready built house or flat is admissible for outright purchase only. The purchase can be from Government/semi-Government bodies, Housing Boards, Development Authorities, Registered Co-operative Societies etc. or from private parties.

4. **COST CEILING :**

(i) Cost of house excluding cost of land should not exceed Rs. 8 lakhs for Major 'A' Class Cities and Rs. 6 lakhs for other Cities. The ceiling may be relaxed upto 25% based on merit by the bank. It would however be incumbent on the sanctioning authority to satisfy himself regarding means of finance and sources thereof before accepting cost of house in individual loans.

(ii) In the case of enlargement to existing accommodation the total cost of the existing structure and the cost of enlargement should not exceed the limit.

(iii) If CPF withdrawal is also taken for house building, the total amount of CPF withdrawal and the house building advance should not exceed the limit.

(iv) If the advance is for constructing residential part of the building on a shop-cum-residential plot situated in a residential colony :-

(a) the cost of land, he cost of super-structures of the proposed residential portion and shop(s) should not exceed the ceiling limit.

(ख) दुकान (दुकानों) सहित आवासीय भाग की संपूर्ण सम्पत्ति बंधक रखी जानी चाहिए।

(ग) दुकान (दुकानों) सहित समस्त भवन आग, वज्रपात, बाढ़ आदि दुर्घटनाओं के लिए बीमाकृत होना चाहिए।

5. **अग्रिम की राशि :**

(i) सभी अधिकारियों के लिए 5.00 लाख रुपये अथवा खरीद/निर्माण की आनुमानिक लागत के बराबर, इनमें से जो भी कम हो :–

(क) विद्यमान प्लाट पर नये मकान के निर्माण के लिए;

(ख) प्लाट खरीदकर उसपर मकान का निर्माण करने के लिए;

(ग) बने-बनाए मकान या फ्लैट की खरीद के लिए जो खाली हो। उपर्युक्त सीमा संबंधित अधिकारी की चुकौती क्षमता के अध्यधीन होगी।

(ii) विद्यमान मकान में जगह के विस्तार के मामले में स्वीकार्य राशि मासिक वेतन का 50 गुना या 60,000 रु० अथवा विस्तारकार्य की अनुमानित लागत, जो भी कम हो, होगी।

6. **अग्रिम का संवितरण :**

अग्रिम की किस्तों का संवितरण भवन निर्माण में की जा रही प्रगति के अनुरूप होगा। तथापि, जहां भूमि विशेष से संबंधित प्रलेख उपलब्ध हो वहां ऋण के संवितरण के पूर्व साम्यिक बंधक करना अनिवार्य है। किन्तु यह संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाने वाली कानूनी सलाह के अध्यधीन होगा। बंधक अथवा बंधक प्रलेख से तात्पर्य साम्यिक बंधक की सर्जना है न कि पंजीकृत बंधक।

भूमि की खरीद एवं एक तल्ले के मकान के निर्माण के लिए करार निष्पादन के समय 20% अथवा प्लाट की वास्तविक लागत, इनमें से जो भी कम हो, साम्यिक बंधक विलेख के निष्पादन के समय शेष का 50% एवं शेष राशि निर्माण कार्य कुरसी (प्लिन्थ) स्तर तक पहुंचने पर संवितरित की जाएगी।

भूमि की खरीद एवं दो मंजिला मकान के निर्माण के लिए करार निष्पादन के समय 15% अथवा प्लाट की वास्तविक लागत, इनमें से जो भी कम हो, साम्यिक बंधक विलेख के निष्पादन के समय शेष का 50% एवं शेष राशि का संवितरण निर्माण कार्य कुरसी (प्लिंथ) स्तर तक पहुंचने के समय किया जाएगा।

सहकारी समूह भवन निर्माण समिति से मकान/फ्लैट खरीदने के लिए ऋण का संवितरण सहकारी समूह भवन निर्माण समिति द्वारा की गई मांग को देखते हुए संस्वीकृत सीमा के अंतर्गत किया जाए बशर्ते, यथाशीघ्र साम्यिक बंधक प्राप्त कर लिए जाएं।

(b) the entire property including the shop(s) and the residential portion should be mortgaged.

(c) the entire building including the shop(s) should be insured against fire, lightning, floods etc.

5. **AMOUNT OF ADVANCE :**

(i) Rs. 5.00 Lakhs in the case of all officers; or the estimated cost of purchase/construction, whichever is least in the case of :–

(a) Construction of a new house on an existing plot;

(b) Purchasing a plot and constructing a house thereon;

(c) Purchase of a ready built house or flat which has not been occupied. The above limit is further subjected to the repaying capacity of the official.

(ii) In the case of enlarging the accommodation on existing house the amount admissible is 50 times the monthly pay or Rs.60,000/- or estimated cost of enlargement, whichever is least.

6. **DISBURSEMENT OF ADVANCE :**

Disbursement of instalment is to be related to the progress in the construction of the housing unit. However, where individual land documents are available, equitable mortgage should be essential before disbursement of the loan. This should be subject to legal opinion to be furnished to the sanctioning authority.

Mortgage or mortgage deed would mean creation of equitable mortgage and not registered mortgage.

For purchase of land and construction—single storeyed house—20% or the actual cost of plot, whichever is less on execution of aggrement, 50% of the balance on execution of the equitable mortgage deed and the balance on the construction reacning the plinth level.

For purchase of land and construction—Double storeyed house—15% or the actual cost of plot whichever is less, on executing the agreement, 50% of the balance on execution of the equitable mortgage deed and the balance on construction reaching plinth level.

For the purpose of house/flat from cooperative group housing society-disbursement of loan within the sanctioned limit may be made in the light of demands made by the co-operative group housing society, subject to obtention of equitable mortgage as early as possible.

7. **अग्रिम के उपयोग की समय सीमा :**

(i) **भूमि की खरीद :** भूमि की खरीद संबंधी सौदा पूरा कर लिया जाना चाहिए तथा उसका बिक्री विलेख 6 माह के अंतर्गत प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। इसमें चूक होने पर अग्रिम की राशि एकमुश्त लौटा दी जानी चाहिए।

(ii) **मकान की खरीद :** बैंक के पास बंधक रखने का कार्य 3 माह के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

(iii) **नये फ्लैट की खरीद :** जब तक समय सीमा में वृद्धि नहीं की जाती यह कार्य तीन महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।

कतिपय मामलों में प्रतिभू : निम्नलिखित के मामले में संस्वीकृत अग्रिम की समस्त राशि या उसका कोई अंश प्रदान करने के पहले बंधक/करार के निष्पादन के अलावा अनुमोदित स्थायी अधिकारी की प्रतिभू आवश्यक है :-

(क) ऐसे अधिकारी जो स्थायी नहीं हैं।

(ख) ऐसे अधिकारी जो अग्रिम हेतु आवेदन करने की तारीख के बाद 18 माह के अंतर्गत सेवा निवृत्त होने वाले हैं।

(ग) स्थायी अधिकारी (ऊपर (ख) के अंतर्गत आनेवाले जो बना-बनाया मकान खरीदने हेतु अग्रिम चाहते हैं।

8. **निर्माण :**

(i) **प्लान के अनुसार गृह-निर्माण करना :** निर्माण कार्य अनुमोदित प्लान एवं विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार ही होना चाहिए जिसके आधार पर अग्रिम स्वीकृत किया गया हो। इसमें व्यतिक्रम के मामले में शहरी विकास मंत्रालय या अन्य संबंधित स्थानीय निकाय से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

(ii) **समय-सीमा :** निर्माण कार्य प्रथम किस्त के आहरण की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि एक वर्ष तक के लिए की जा सकती है तथा समय-सीमा में इससे अधिक समय की वृद्धि के लिए स्वीकृति अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक दे सकते हैं यदि निर्माण कार्य में देरी ऐसे कारणों से हुई हो जो बैंक अधिकारी के नियंत्रण से बाहर है।

(iii) **बीमा :** निर्माण/खरीद के बाद अधिकारी को अपने खर्चे से घर को आग, बाढ़ तथा वज्रपात के लिए घर के पूरे मूल्य के लिए बीमा कराना चाहिए। बीमा पॉलिसी को बैंक के पास जमा करना चाहिए तथा प्रीमियम की रसीदें निरीक्षण हेतु

7. **TIME LIMIT FOR UTILIZATION OF ADVANCE :**

(i) **Purchase of land :** Deal for purchase of land should be completed and the sale deed produced within six months, failing which the advance should be refunded in lump sum.

(ii) **Purchase of house :** Acquisition of mortgage to Bank should be completed within 3 months. Extension of time limit may be granted by the competent authority.

(iii) **Purchase of new flat :** It should be completed within three months unless extension of time limit is granted.

Surety in certain cases : In addition to execution of mortgage/agreement, the surety of an approved permanent official is necessary before releasing the sanctioned advance or any part thereof to :

(a) Officials who are not permanent.

(b) Officials who are due to retire from service within 18 months following the date of application for advance.

(c) Permanent officials (covered by (b) above) requiring the advance for the purchase of a ready built house.

8. **CONSTRUCTION :**

i) **Adherence to Plans :** The construction should be exactly according to the approved plan and specification on the basis of which the advance was sanctioned. Prior concurrence of the Ministry of Urban Development or other concerned local body as the case may be is necessary for any deviation.

ii) **Time limit :** The construction should be completed within 18 months of the date on which the first instalment is drawn. Extension of time is permissible upto one year by the competent authority and for a longer period by the Chairman & MD or ED if the work is delayed due to circumstances beyond the bank officer's control.

iii) **Insurance :** On completion of construction/purchase, the house should be insured by the official at his cost against fire, flood and lightning for the full value of the house. The insurance policy

प्रस्तुत करनी चाहिए। अग्रिम के परिसमापन तक बीमा को चालू रखा जाना चाहिए।

(iv) **रख-रखाव** : घर को इसके स्वामी द्वारा अपने खर्चे से मरम्मत आदि कराकर अच्छी हालत में रखा जाना चाहिए। इसे सभी प्रकार से भार/ऋण आदि से मुक्त रखा जाना चाहिए। अधिकारी को नियमित रूप से सभी करों का भुगतान करना चाहिए तथा वार्षिक आधार पर इस उद्देश्य का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। रख-रखाव के निरीक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

9. **ब्याज** :

(i) 1.10 लाख रु. तक - 5% प्रतिवर्ष (साधारण)

(ii) 1.10 लाख रु. से अधिक - 11% प्रतिवर्ष (साधारण)

10. **अग्रिम की चुकौती** :

(i) ब्याज के साथ ऋण की राशि अधिकतम 240 मासिक किस्तों में चुकाई जाएगी, फिरभी यदि वह चाहे तो इससे कम अवधि में चुकौती कर सकता है। 180 किस्तों में मूलधन की चुकौती हो जाने के उपरांत ही गृह-निर्माण ऋण पर ब्याज राशि की चुकौती अगले 60 किस्तों में की जाएगी। फिर भी, यदि चुकौती कम समय में करनी हो तो मूलधन तथा ब्याज की किस्तों की संख्या 3:1 के अनुपात में होनी चाहिए तथा मूलधन का समायोजन पहले होना चाहिए।

(ii) नए गृह के निर्माण के मामले में की शुरुआत निर्माण के पूरा होने के परवर्ती महीने से या ऋण भुगतान के महीने से 18 वें महीने से, उनमें से जो भी पहले हो, होगी। यदि तैयार मकान की खरीद हेतु ऋण लिया गया हो तो ऋण प्राप्त करने के परवर्ती महीने से शुरू होगी।

(iii) नए गृह का निर्माणकार्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा किए जाने की स्थिति में ऋण की पहली किस्त दिए जाने के 36 माह बाद अथवा गृह निर्माण कार्य पूरा होने के महीने के अगले वेतन से, इनमें से जोभी पहले है, वसूली की जाएगी।

(iv) ऋण के भुगतान की तारीख से अथवा किस्तों में ऋण के भुगतान के मामले में प्रथम किस्त के भुगतान से ब्याज प्रभारित किया जाएगा। महीने के अंत में बकाया शेष पर ब्याज का आकलन किया जाएगा।

(v) वसूली की प्रक्रिया में उच्च ब्याज-दर वाली ऋण राशि के अंश को पहले वसूल किया गया समझा जाएगा।

should be deposited with the bank and the premia receipts should be produced for inspection. The insurance should be kept alive till liquidation of advance.

iv) **Maintenance :** The house should be maintained in good repair at owner's cost and kept free from all encumbrances. The official should pay all taxes regularly and furnish a certificate annually to that effect. Annual Inspection may be carried out by the competent authority for checking up the maintenance.

9. **INTEREST :**

i) Upto Rs. 1.10 lakhs - 5% p.a. (Simple)

ii) Above Rs. 1.10 lakhs - 11% p.a. (Simple)

10. **REPAYMENT OF ADVANCE :**

i) The loan, together with interest thereon, shall be repayble in not more than 240 monthly instalments provided that the officer may select to repay in a shorter period if he so desires. The amount of interest on housing loan should be recovered in 60 instalments only after the principal has been adjusted in full in 180 instalments. In case, however, the repayment is to be effected in a shorter period, the number of instalments towards principal and interest should be in the ratio of 3:1, the principal being adjusted first in full.

ii) In the case of construction of new house, recovery will commence from the pay of the month following the completion of the house or the 18th month after the date of payment of loan whichever is earlier. If the loan is taken for purchase of a ready built house, recovery will commence from the pay of the month following that in which the advance is taken.

iii) In the case of construction of a new house by a Government agency, recovery will commence from the pay of the month following the completion of the house or the 36th month after the date of payment of the first instalment, whichever is earlier.

iv) The interest will be charged from the date of the payment of the loan or the first instalment of loan where such loan is paid in instalments. The amount of interest will be calculated on the balance outstanding on the last day of the month.

v) In the process of recovery, the portion of the loan carrying higher rate of interest will be treated as having been refunded first.

से अधिक नहीं होगी। वास्तविक रसीद प्रस्तुत करने पर ही प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, उपर्युक्त सीमा के 50% तक किए गए की प्रतिपूर्ति संबधित अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर की जा सकती है।

प्रत्येक बैंक का निदेशक मंडल क्लब/संस्था की सदस्यता के लिए प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-V तक के अधिकारियों के वर्ग का निर्धारण करेगा। तथापि किसी भी दशा में 1000 रु० से अधिक के प्रवेश की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

बैंक उप महाप्रबंधक एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए प्रधान कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/अंचल कार्यालय स्थित जगहों पर अवस्थित किसी एक क्लब की कंपनी सदस्यता ले सकता है। सामूहिक सदस्यता की सुविधा का लाभ उठाने वाले अधिकारी पैरा 3 में उल्लिखित फीस की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

अनुबंध-16

यूको बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 41 के परन्तुक की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं :–

दिनांक 4.10.1996 के प्रभाव से यदि उच्च कार्यपालक श्रेणी (वेतनमान-VI तथा VII) के अधिकारी दिल्ली के आइ टी डी सी होटलों तथा कलकत्ता एवं मुंबई के अन्य होटलों में आइ टी डी सी होटल की टैरिफ दर सूची की सीमा में ठहरने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें मुंबई, कलकत्ता तथा दिल्ली में प्राप्य श्रेणी की टैरिफ दर सूची के 125% प्रतिशत से अनधिक सीमा तक दूसरे होटलों में ठहरने के व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

नोट : इस पुस्तिका के हिन्दी पाठ से किसी प्रकार के वाद-विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में इसका मूल अंग्रेजी पाठ ही प्राधिकृत माना जाएगा।

Grade and Rs. 5000/- per annum in the case of an officer in Top Executive Grade. The reimbursement would be made only on the production of actual receipts. However, expenses incurred upto 50% of the limit may be reimbursed on the basis of a certificate by the concerned officer.

The categories of Officers upto SMGS-V entitled to reimbursement of admission fees for membership of clubs/associations would be determined by the Board of each bank. However, reimbursement of such admission fees shall in no case exceed Rs. 1000/-

For Officers in the rank of Dy. General Manager and above, the bank may take corporate membership of one club located at its Head Office/ Local Office/Zonal Office.The Officers availing the facility of corporate membership shall not be eligible for reimbursement of fee as referred to in para 3 above.

ANNEXURE-16

The following guidelines are issued by the Government in terms of proviso to Regulation 41 of the UCO Bank (Officers') Service Regulations 1979.

With effect from 4.10.1996, if officers in Top Executive Grade (Scales VI & VII) are unable to stay in ITDC hotels in Delhi and in other hotels in Calcutta & Mumbai within the tariff limit of ITDC hotels, they may be reimbursed actual lodging expenses for staying in other hotels not exceeding 125% of the tariff of their entitle class at Mumbai, Calcutta and Delhi.

Note :- In the event of any controversy arising out of Hindi version of this Booklet, the original English text of it will be treated as authoritative.